



कानपुर नगर निगम

नगर निगम (मा0सदन) की दिनांक 20.12.2021

दिन सोमवार को पूर्वान्ह 11.30 बजे

सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

स्थान: नगर निगम सदन सभागार, मोतीझील, कानपुर



कार्यालय सचिव
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या :- डी/२७३/सचिव (न०नि०)/२०२१-२२

दिनांक :- २०-१२-२०२१


सेवा में,

मा० श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पार्षद वार्ड सं०...../पदेन सदस्य /नाम निर्दिष्ट सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा० सदन की दिनांक २०.१२.२०२१ दिन सोमवार को पूर्वान्ह ११.३० बजे सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त सुलभ सन्दर्भ हेतु सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।


२०/१२/२१
सचिव

नगर निगम, कानपुर

प्रतिलिपि :-

१. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
२. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
३. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचिव
नगर निगम, कानपुर

दिनांक 20.12.2021 को पूर्वान्ह 11:30 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम मुख्यालय के सदन सभागार में सम्पन्न हुई मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/अध्यक्ष
1. श्री रमेश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
2. श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद/सदस्य
3. कु0 लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
4. श्रीमती रीता पासवान	पार्षद/सदस्य
5. मोहिनी कनौजिया	पार्षद/सदस्य
6. श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
7. श्री मनोज कुमार गुप्ता	पार्षद/सदस्य
8. श्रीमती आरती गौतम	पार्षद/सदस्य
9. श्री अवनीश खन्ना	पार्षद/सदस्य
10. श्री अजीत	पार्षद/सदस्य
11. श्री मदन बाबू	पार्षद/सदस्य
12. श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य
13. श्री सौरभ देव	पार्षद/सदस्य
14. श्री राकेश कुमार	पार्षद/सदस्य
15. श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
16. श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद/सदस्य
17. श्रीमती राधा देवी	पार्षद/सदस्य
18. श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद/सदस्य
19. श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद/सदस्य

45. श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
46. श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद / सदस्य
47. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
48. श्री मो० आमिर खान	पार्षद / सदस्य
49. श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
50. श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद / सदस्य
51. श्री सौरभ तिवारी	पार्षद / सदस्य
52. श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद / सदस्य
53. श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
54. श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद / सदस्य
55. श्रीमती दीपा	पार्षद / सदस्य
56. श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद / सदस्य
57. श्री अरविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
58. श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
59. श्री जय प्रकाश पाल	पार्षद / सदस्य
60. श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद / सदस्य
61. श्री राजीव सेतीया	पार्षद / सदस्य
62. श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
63. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य
64. श्रीमती सुधा	पार्षद / सदस्य
65. श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
66. श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद / सदस्य
67. श्रीमती शशी साहू	पार्षद / सदस्य
68. श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
69. श्री रशीद आरफी	पार्षद / सदस्य

नामित सदस्य

1. श्री सत्येन्द्र मिश्रा
2. श्रीमती शोभा श्रीवास्तव
3. दीपक सिंह
4. श्री सरदार मंजीत सिंह
5. श्री शिव शंकर सैनी
6. श्री सुनील वाल्मीकि
7. श्री अतुल शुक्ला
8. श्री संदीपन अवस्थी
9. श्री प्रवीण सचान

अधिकारीगण

1. श्री शिवशरणप्पा जीएन, नगर आयुक्त
2. श्री सूर्य कान्त त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त
3. श्रीमती रोली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त
4. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. डॉ० अजय संख्वार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6. डॉ० अमित कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7. श्री एस० के० सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल)
8. श्री नीरज गौड़, महाप्रबन्धक, जलकल
9. श्री स्वर्ण सिंह, उप नगर आयुक्त/प्रभारी विज्ञापन
10. श्री राधे श्याम पटेल, सचिव नगर निगम

दिनांक 11.10.2021 को सम्पन्न हुई मा10 कार्यकारिणी समिति की बैठक का प्रस्ताव संख्या-295 नगर निगम के पुनरीक्षित बजट 2021-22 के पुनरीक्षित किये गये मद को स्वीकृत प्रदान करते हुए मा10 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अप्रसारित किया गया :-

प्रस्ताव संख्या-127

समक्ष विद्यार्थ एवं अनुसूचित जाति प्रस्तुत है।
 व्यय रूपया 104592.65 लाख व आन्तम अवशेष रूपया 39713.57 कुल व्यय रूपया 144306.22 लाख के बजट माननीय सदन के कुल प्रस्तावित आय रूपया 95974.40 लाख व प्रारम्भिक अवशेष रूपया 48331.82 लाख कुल आय रूपया 144306.22 लाख के बजट के सापेक्ष कुल प्रस्तावित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित बजट उपरोक्त पुनरीक्षित तख्तीनों को समाहित करते हुए बजट के अनुमान तैयार किये गये हैं, इस प्रकार अतिमहत्वपूर्ण कार्य से सम्बन्धित मद शीर्षक से पुनः तख्तीनों को पुनरीक्षित करते हुए माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 10.12.2021 को स्वीकृति प्रदान वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लगभग 03 माह से अधिक दिवस अभी भी अवशेष है। इसलिये पारित पुनरीक्षित बजट के विकास एवं अन्य अनुसूचित कार्य एवं अन्य विकास कार्यों से सम्बन्धित मदों से पुनरीक्षित बजट से आवंटित बजट धनराशि पूर्ण रूप से व्यय हो चुके हैं या होने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जैसा कि ज्ञात है कि विकास एवं अन्य अनुसूचित कार्य तीव्र गति से किये जाने के समय-समय पर शासन के निर्देशों के क्रम में 42373.57 कुल व्यय रूपया 144306.22 लाख के बजट के अनुमान तैयार किये गये हैं। पुनरीक्षित बजट 2021-22 माननीय कार्यकारिणी द्वारा 11.10.2021 को व प्रारम्भिक अवशेष रु0 48331.82 लाख कुल आय 144306.22 लाख के बजट के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 101932.65 लाख व आन्तम अवशेष रूपया पुनरीक्षित वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित बजट 31 अगस्त के वार्षिक आय एवं व्यय के आंकड़ों के दृष्टिकोण से प्रस्तावित आय रूपया 95974.40 लाख बजट माननीय सदन द्वारा दिनांक 22.06.2021 को सम्पन्न हुई बैठक से पारित किया जा चुका है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-147 बजट के 113362.93 लाख के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 93570.65 लाख व आन्तम अवशेष रूपया 19792.28 कुल रूपया व्यय 113362.93 लाख के तख्तीने वित्तीय वर्ष 2021-22 का मूल बजट कुल प्रस्तावित आय रूपया 93024.65 लाख व प्रारम्भिक अवशेष रूपया रु0 2038.28 लाख कुल आय रूपया तदनुक्रम से उपसमापति, मा10 कार्यकारिणी समिति ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत बजट के

पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 को सदन पटल पर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

श्री नीरज पटेल, कर निर्धारण अधिकारी ने कार्यसूची के प्रस्ताव सं0-1 के अनुसार उपसमापति, मा10 कार्यकारिणी समिति, श्री कैलाश पाण्डेय जी से

निर्धारण अधिकारी को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की आदेशित किया।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर नगर आयुक्त ने श्री नीरज पटेल, कर

सर्वप्रथम बन्दे मालरम (राष्ट्रीय) गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

पुनरीक्षित बजट 2021-22 के पुनरीक्षित किये गये मद शीर्षक निम्नवत है :-

आयपक्ष

धनराशि लाख में

क्रमांक	मदशीर्षक	मद का नाम	मूल बजट की धनराशि	पुनरीक्षित बजट की धनराशि
1	1401403	विकास शुल्क मलवा शुल्क	100.00	300.00
2	1404009	अन्य शुल्क नामांतरण शुल्क	600.00	800.00
3	1405025	उपयोगकर्ता शुल्क पार्किंग	90.00	175.00
4	1503001	अन्य बिक्री महाबलीपुरम	0.25	35.00
5	3111312	वित्त आयोग- बैंक ब्याज	120.00	500.00
6	3111480	विकास प्राधिकरण हस्तांतरण	500.00	2500.00
7	3112303	नमामि गंगे	150.00	20.00
8	3112308	पी0एम0स्वनिधि योजना	0.00	30.00
9	3112309	गंगा घाटो की सफाई	0.00	150.00

व्यय पक्ष

धनराशि लाख में

क्रमांक	मदशीर्षक	मद का नाम	मूल बजट की धनराशि	पुनरीक्षित बजट की धनराशि
1	2101001	वेतन एवं भत्ते अधिकारीगण	50.00	60.00
2	2101002	वेतन एवं भत्ते कर्मचारीगण	23000.00	25500.00
3	2101003	वेतन एवं भत्ते संविदा कर्मचारीगण	350.00	400.00
4	2101006	वेतन एवं भत्ते संविदा कर्मचारीगण सफाई	4000.00	4440.00
5	2103001	पेंशन	10500.00	11600.00
6	2202102	छपाई सामग्री	10.00	25.00

7	2205204	सलाहकार शूल्क	10.00	15.00
8	2206003	कार्यक्रम आयोजन	25.00	35.00
9	2305006	सहक मरम्मत (उद्योग बन्धु)	800.00	1500.00
10	2305007	विक्रम काय 1 प्रतिशत मलिन बस्ती	1.00	390.00
11	2305104	कला एवं संस्कृति का रख रखाव	5.00	8.00
12	2305111	सांस्कृतिक शौचालय का रख रखाव	60.00	100.00
13	2308001	कूड़ा निस्तारण डोर टू डोर	35.00	100.00
14	2308003	बंदर कोसियम निस्तारण	50.00	600.00
15	2308004	एसोटीओपीओ रख रखाव	50.00	400.00
16.	2308005	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	5.00	25.00
17	4102007	सांस्कृतिक शौचालय का निर्माण	40.00	80.00
18	4107001	फर्नीचर अलमारी सेज कुर्सी आदि	40.00	75.00
19	4107002	फर्नीचर फिक्चर फिटिंग	10.00	20.00
20	3111480	विकास प्राधिकरण इस्तेमाल	500.00	2500.00
21	3112400	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम	450.00	300.00
22	3112401	पीओएस स्वनिधि योजना	0.00	30.00
23	3112402	रांगा घाटी की सफाई	0.00	150.00

नगर निगम कानपुर

आय

(घनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2020-21	प्रस्तावित घनराशि 2021-22	वास्तविक आय अगस्त 2021 तक	पुनरीकृत घनराशि 2021-22
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	17149.28	22881.50	6180.31	22881.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय संपत्तियों के किराये से आय	3	177.59	166.00	32.67	166.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3-4	1639.34	2331.55	979.33	2816.55
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	56.01	92.80	37.30	127.55
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	0.00	0.20	0.00	0.20
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	519.02	602.60	1.73	602.60
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	536.70	563.30	199.53	563.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	37463.72	39630.20	15366.49	39630.20
	TOTAL (A)		योग (अ)	6	57541.66	66268.15	22797.35	66787.90
	Capital Income		पूँजीगत आय					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
3111	Finance Commission: Fourteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	6	22329.08	22620.00	7593.43	23000.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	210.32	1500.00	1920.32	3500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	945.23	2036.00	298.18	2086.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	7	0.00	0.40	0.00	0.40
	TOTAL -B-		योग (ब)	7	23484.63	26156.40	9811.93	28586.40
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	7	81026.29	92424.55	32609.28	95374.30
	Reserve Fund (INNURM)		रिजर्व फण्ड (जेएनएम/अमृत)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकल्पित निधि ऋण (रिवाल्विंग फण्ड)	7	0.00	0.10	0.00	0.10
3111	INNURM Scheme	3111	जेएनएम/अमृत योजना प्राप्ति	7	443.32	600.00	0.30	600.00
	TOTAL -C-		योग (स)	7	443.32	600.10	0.30	600.10
	Total Revenue, Capital & INNURM/Amrut Income A +B+ C		कुल राजस्व पूँजीगत एवं जेएनएम/अमृत आय (अ+ब+स)	7	81469.61	93024.65	32609.58	95974.40
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष-	7	41206.05	20338.28	48010.98	48331.82
	Grand Total		गहायोग	7	122675.66	113362.93	80620.56	144306.22

(वित्तसहायक नरेश कुमार)

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि अध्यक्ष महोदया मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अभी जो बजट की वस्तुस्थिति बताई है वह 07 दिसम्बर, 2021 तक की बताई है और बजट में 31.08.2021 तक की स्थिति दर्शायी गयी है, दोनों में भिन्नता है। कार्यक्रम आयोजन के खर्च के मद में धनराशि रू0 25.00 लाख को बढ़ाकर 35 लाख रखा गया है। यह धनराशि कहां व्यय की गयी है ? सबसे बड़ी दुविधा यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से प्रस्ताव तो पास कर दिये जाते हैं, किन्तु उनके नाम का पत्थर नहीं लगाया जाता है अतः मेरा अनुरोध है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम के पत्थर लगाये जाने के मद में बजट में रू0 20-25 लाख आवंटित किया जाये।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षित बजट अगस्त तक प्रस्तुत करने का प्रावधान नगर निगम अधिनियम में है, इसलिये मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष माह, अगस्त तक का बजट प्रस्तुत किया गया था। आज सदन में दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 तक की स्थिति रखी गयी है। इसी के साथ यह अवगत कराना है कि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के निर्देशों के क्रम में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया/किया जाना है, तदनुसार इस मद के व्यय पक्ष में बजट बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अगवत कराया कि पार्षद श्री नीरज बाजपेई द्वारा 131 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से शहर की सड़को के नामकरण हेतु प्रस्ताव दिया गया है, अभी इसमें और भी वृद्धि हो सकती है। मेरा सुझाव है कि इसके लिये भी बजट में प्राविधान किया जाये।

..... नगर निगम वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में वास्तविक आय के पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रूपया 95974.40 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष 48331.82 लाख इस प्रकार कुल आय धनराशि रूपया 144306.22 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित व्यय रूपया 101932.65 लाख तथा अन्तिम अवशेष रूपया 42373.57 इस प्रकार कुल व्यय रूपया 144306.22 लाख की धनराशि को सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या- 128

दिनांक 10.12.2021 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या-385 को स्वीकृत प्रदान करते हुए मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :-

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

- सहायता नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- (1) यह उपविधि कानपुर नगर निगम (आकाश विन्ड, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020' कही जाएगी।
- (2) इसका विस्तार नगर निगम कानपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1959) की धारा-305, 306, 452 एवं 541(41) (42) (48) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में नग आकाश विन्ड, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क वसूली हेतु अधिनियम की धारा-542 के अन्तर्गत प्रस्तावित 'कानपुर नगर निगम (आकाश विन्ड, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020' का निम्नानुसार पाण्डुलिपि तैयार कर मा10 कार्यकारिणी समिति/सदन के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

प्रस्ताव

नगर निगम कानपुर



विगत सदन की बैठक में विज्ञापन नियमावली के सम्बन्ध में आपत्तियों के निस्तारण हेतु समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था, तदनुक्रम में गाविल समिति ने आपत्तियाँ प्राप्त कर तदनुसार निस्तारण करते हुए विज्ञापन नियमावली को पुनः कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत करते हुए सदन को अग्रसारित करने हेतु निम्नवत प्रस्तुत किया गया :-

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है,
- (2) "विज्ञापन"(advertisement) से तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illumination) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना(model), चिन्ह विज्ञापन फलक (placard board), नोटिस, युक्ति(device) अथवा प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा(announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार (nature) का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती(hoarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढाँचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हैं या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुकूलित कर लिये गये हों,
- (2) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसी फर्म, एजेन्सी, संस्था, कम्पनी, (पंजीकृत/अपंजीकृत) संगठन से है जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट, फ्लैक्स, डिजिटल/विद्युत पट्ट अथवा उपकरण परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है,
- (3) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,
- (4) "आकाश चिन्ह" से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना चिन्हयुक्त या अन्य प्रतिरूप, जो विज्ञापन घोषणा या निर्देश के रूप में हो और जो किसी भवन या ढाँचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, ध्वजदण्ड, चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो,
- (5) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,
- (6) "पताका" (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,
- (7) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो,
- (8) "समिति" का तात्पर्य नियम-3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है,

- (9) "निगम" का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है।
- (10) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जा, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।
- (11) "गैर-स्थानीय प्रतीक" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।
- (12) "गैर-स्थानीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्बे, स्तंभ, बाड़ या विज्ञापन पट्टे पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो।
- (13) "प्रदीप प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अस्थायी हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप किये जाने पर आधारित हो।
- (14) "शाश्वत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शाश्वत विज्ञापन विज्ञापन या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो।
- (15) "प्रदर्शित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मीलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।
- (16) "मार्ग आधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रधानमार्ग सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।
- (17) "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्रतीक भवन की छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हो या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।
- (18) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।
- (19) "बस सायबाना (बील्डर) पर विज्ञापन" का तात्पर्य किसी बस संयान के अर्धिन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टंगा गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।
- (20) "पुष्प पान (प्लावर पॉट) स्टैंड विज्ञापन" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पथदलण की दृष्टिकोण से अनुकूल सीसामी पौधे लगाने के पश्चात् फलावर पॉट स्टैंड पर अनुमन्य/विहित आकार का

विज्ञापन पट्ट लगाये जाने से है,

- (21) "जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है,
- (22) "ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,
- (23) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो,
- (24) "अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,
- (25) " अनुज्ञा शुल्क " का तात्पर्य अधिनियम की धारा-452 में निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है,
- (26) "ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है,
- (27) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है,
- (28) "दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,
- (29) "डिजिटल स्क्रीन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट से है जिससे कि डिजिटल तकनीक अथवा विद्युत उपकरण के माध्यम से फ्लैक्स, के माध्यम से एक से एकाधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकते हों,
- (30) "मैदान" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि, पार्क अथवा खेल के मैदान आदि से है।
- (31) "प्रीमियम" का तात्पर्य निविदा में किसी स्थल पर विज्ञापन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रस्तावित धनराशि से है।

- (32) "प्रचार गहन / बस पर विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन हेतु प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट गहन (जैसे- एलडंडोडी वीट ई-रिक्शा, आर्ट रिक्शा) एवं अन्य मोटर वाहन वाहन।
- (33) "सांकेतिक पट" का तात्पर्य सांकेतिक स्थलों या निजी भूमि पर जहाँ ऐसे विज्ञापन लिखे किन्हीं विशिष्ट स्थल/संस्था या फिर किन्हीं दिशाका संकेत होना है।
- (34) "सिनेमा विज्ञापन" का तात्पर्य सिनेमा में स्क्रीन पर विज्ञापन लिखने स्टांडर्ड और विज्ञापन फिल्म सम्मिलित है। (बलबल विज्ञापन)
- (35) "अभिनव विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे आउटडोर मीडिया डिवाइस जो आउटडोर मीडिया डिवाइस के माध्यम से परिभाषित नहीं है और जो प्रतिबंध में से नहीं है। को अभिनव विज्ञापन के रूप में विचार किया जाएगा।
- (36) "सड़क यातायात चिन्ह" का तात्पर्य ऐसा कोई सड़क यातायात चिन्ह और यातायात संकेतक जो भारतीय सड़क माधिकरण या किन्हीं ऐसे लागू अधिनियम/नियम में अगुआ है।
- (37) इलेक्ट्रॉनिक दृश्य प्रदर्शन का तात्पर्य ऐसे अनौपचारिक रूप से एक स्क्रीन, एक स्थायी रिकार्ड बनाने के बिना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित छवि, पाठ या वीडियो की प्रस्तुति के लिए एक प्रदर्शन उपकरण है जो कि निम्नलिखित हैं- कम्प्यूटर मॉनिटर और डिजिटल साइनेज शामिल है।
- (2) इस उपरोक्त में प्रयुक्त किन्हीं अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समजुदाहित हैं।
- (1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त अथवा नगर सार्वक अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके प्रकार, आकार, ऊँचाई, दिशा और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए कानून नगर नियम में एक सन्धि का गठन किया जाएगा।

गठन
स्थल ध्वज के
विशेष सन्धि का

3-

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे-

- | | |
|--|------------|
| (1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित
अपर नगर आयुक्त, | अध्यक्ष |
| (2) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम , | सदस्य |
| (3) सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| (4) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण,(जहाँ स्थल भारतीय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित हो) | सदस्य |
| (5) अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा
रेलवे का प्रतिनिधि,(जहाँ स्थल लोक निर्माण
विभाग अथवा रेलवे से सम्बन्धित हो) | सदस्य |
| (6) नगर का यातायात का प्रभारी राजपत्रित
अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग) | सदस्य |
| (7) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन
निगम,(जहाँ स्थल बस शेल्टर के आवंटन के सम्बन्ध में हो) | सदस्य |
| (8) निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी
जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न
हो, | सदस्य |
| (9) कार्यालय स्मार्ट सिटी द्वारा नामित उनके
प्रतिनिधि | सदस्य |
| (10) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (11) प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन) | सचिव/सदस्य |
| (12) मा० महापौर द्वारा नामित 02 सदस्य | सदस्य |

- (3) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जाएगी। नगर निगम सीमान्तर्गत चयनित स्थलों की सूची को समिति के सदस्यों के समक्ष उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर सदस्यों द्वारा अपनी आपत्ति/सुझाव दिया जाना आवश्यक होगा,अन्यथा की दशा में स्थल चयन की कार्यवाही निस्तारित कर

- दी जायेगी। यदि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो व्यक्तिगत रूप से उसे/प्रकार परिवर्तित करने की शक्ति नगर आयुक्त में निहित होगी। सदस्य सचिव द्वारा नगर आयुक्त से अनुरोधन प्राप्त कर समस्त सदस्यों को स्थल की सूची प्रेषित की जाएगी। जब भी किसी नवीन स्थलों का वयन किया जायेगा, पुनः यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- (4) उपरोक्त समिति द्वारा विहित स्थल पर ही विज्ञापन किया जायेगा।
- (1) 2020 नगर निगम अधिनियम-1959 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक भूमि, भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या दी गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खूब स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चिह्न, लिखित किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन देने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न विपकरोयेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकाने देगा और न सुनवाने देगा यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लगाने, न विपकरोये, न लिखने, न चित्रित करने या न लटकाने देगा और न सुनवाने देगा यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रूप से दृश्य हो।
- (2) नगर निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न विपकरोयेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकरोयेगा, सुनानेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लगाने, न विपकरोये, न लिखने, न चित्रित करने या न लटकाने देगा और न सुनवाने देगा यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रूप से दृश्य हो।
- (3) कोई विज्ञापन परट ड्रेस सीटि से प्रतिलिखित नहीं किया जायेगा कि यालायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्ययान हो या यालायात में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करे।

प्रतिबंध

4-

- (4) राष्ट्रीय/राज्य संग्रहालयों, नेशनल पार्क, धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्थलों पर विज्ञापन पट न तो परिनिर्मित करा जायेगा न प्रदर्शित करा जायेगा, न संप्रदर्शित करा जायेगा, न चिपकाया जायेगा, न लगाया जायेगा, न लिखा जायेगा, न चित्रित किया जायेगा या न लटकाया जायेगा ।
- (5) ऐसा कोई विज्ञापनकर्ता या संस्था जिस पर नगर निगम/जल संस्थान/कानपुर स्मार्ट सिटी का कोई अवशेष देय हो।
- (6) बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
- (7) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे विज्ञापन कानपुर नगर निगम द्वारा अनुमोदित स्थलों पर ही किया जायेगा।
- (8) कोई भी विज्ञापन का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत नहीं किया जायेगा।
- विज्ञापनकर्ताओं का 5- पंजीकरण एवं नवीनीकरण
- (1) कानपुर नगर निगम में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियाँ ही विज्ञापन हेतु अनुमन्य होंगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिये नवीनीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च के पूर्व ही पूर्ण करना अनिवार्य होगा जो नवीन वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से प्रभावी होगी।
- (2) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को पंजीकरण हेतु रु 50,000/-(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रु. 2,00,000/-(दो लाख) धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
- (3) पंजीकरण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र-1 में किया जायेगा, जिसे रु 1000/-+ (जी0एस0टी0) भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) पंजीकरण हेतु नियम व शर्तें निर्धारित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।
- अनुज्ञा प्राप्त करने 6- की प्रक्रिया
- (1) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्येक स्थल/स्थल समूहों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल/स्थल समूह के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम धनराशि विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (क) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन हेतु अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जाएगा जिसे रु. 500/- + (जी0एस0टी0) या स्थल समूहों की स्थिति में प्रति ईकाई 500/-+ (जी0एस0टी0) का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

- (घ) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुपस्थ पत्र(भू/भवन स्वामी होने के पुष्टिकृत अभिलेख के साथ), आवेदन, आवश्यक विधियाँ
- (ग) मान्यता प्राप्त संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुरुचना सम्बन्धी रिपोर्ट,

(ख) विज्ञापन पट की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे :-

यदि विज्ञापन किसी सांख्यिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, विपकया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकया जाना बांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे :-

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिष्ठित हों,

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेंगी,

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त निजी भवन/भूमियाँ खत-विज्ञापनी, प्रक्षिप्त विज्ञापनी या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक किया विधियाँ और स्थिरक-स्थानों के समस्त पटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अधिष्ठित हो तो आवश्यक अभिकल्प संपादनार्थ तय किया जायेंगा।

(क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्टे की भूमिगत से ऊंचाई, अवस्थिति, ढलान की बनावट आदि की विशिष्टियों को स्थल भवन समिति द्वारा प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेंगी

जाना, लिखा जाना या लटकया जाना बांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी जो नगर निगम द्वारा निधारित विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, विपकया जाना, लिखा जाना या लटकया जाना बांछित हो तो भूमि/भवन/भूमियाँ खत-विज्ञापनी के अतिरिक्त निजी भवन/भूमियाँ खत-विज्ञापनी, प्रक्षिप्त विज्ञापनी या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक किया जायेंगे।

(2) (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा

करनी होगी।

(ग) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित धनराशि का 25 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो लेखाधिकारी नगर निगम के पक्ष में देय हो संलग्न करनी होगी। शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा

(ख) महरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेंगा।

निजी भवन एवं
भूमियाँ पर अज्ञेय
प्रकार करने की
प्रक्रिया

और संरचना-संगणनाओं सहित मान्यता प्राप्त संरचना अभियन्ता की माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया "वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005" के "संरचना अभिकल्प, धारा-1 भार बल और प्रभाव" के भाग-4 के अनुसार होगा।

(ड) मानचित्र स्वीकृत करने वाली सक्षम संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्र।

- (1) उपनियम 6 (क) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचनपत्र देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा। भुगतान न होने की स्थिति में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति/गृहकर में जोड़ कर की जायेगी। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फलावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डों/फलावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अनुसूची-3 के तहत अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।
- (3) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।
- (4) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम का 25 प्रतिशत की धनराशि संलग्न करनी होगी।
- (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, किन्तु बैनर, वाल पेण्टिंग, पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा, यह कि—

अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें 7

- (क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो,
- (ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त अथवा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 20 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 50 मीटर से कम

- (ग) शिक्षापन/विशपनपट सौरह से 50 मीटर के भीतर स्थपित नहीं किया जायेगा।
- (घ) शिक्षापनकर्ता द्वारा शिक्षापन या शिक्षापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुसूचित किया जाएगा।
- (ङ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अनरणीय नहीं होगी।
- (च) शिक्षापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से तत्काल प्रभाव से हटा देगे।
- (छ) शिक्षापन बोर्ड या शिक्षापन पटट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिमित्त किये जायेंगे।
- (ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।
- (झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और शिक्षापन पटटों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातापन किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे।
- (ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापन को निलम्बित कर दे, जिसके पश्चात् शिक्षापनकर्ता शिक्षापन को हटा देगा।
- (ट) शिक्षापनकर्ता को इस उपविधि और अन्य संबन्धीय विधियों का पालन करना होगा।
- (ठ) शिक्षापनों से अवस्थान का कलानक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के शिक्षापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित स्मार्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा।
- (ड) शिक्षापन पटटों का अनुसूचना तथा निरीक्षण नियम 24 एवं 25 के अधीन होगा।
- (ढ) समस्त शिक्षापन नियम 16 "समस्त शिक्षापनों के लिये सामान्य अवधारण" में दी गयी सामान्य अवधारणों के अनुकूल होंगे।
- (ण) शिक्षापनों को वृक्षां या काष्ठमय पेंड-पीथों में गाड़ी, बांधा नहीं जायेगा।
- (त) नगर निगम सीमान्तगत शिक्षापनकर्ताओं द्वारा समस्त शिक्षापनपटों पर नगर निगम कानपुर द्वारा दिये गये प्राकण के अनुसार फर्म का

नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर, विज्ञापनपट अनुज्ञा संख्या, अनुज्ञा अवधि, मोबाइल नम्बर आदि अंकित करना अनिवार्य होगा।

- (थ) नगर निगम सीमान्तर्गत भारतीय रेलवे, मेट्रो रेलवे लाइन एवं बस अड्डा की बाउण्ड्री अथवा पिलर अथवा अन्य सम्पत्ति पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की दशा में नगर आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पश्चात् निर्धारित अनुज्ञा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- (2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल प्रभावसे स्वतः समाप्त हो जायेगा –
- (क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है,
- (ख) यदि कोई परिवर्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के बिना किया जाता है,
- (ग) “यदि विज्ञापन पट की संरचना या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है”,
- (घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या,
- (ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

अनुज्ञा शुल्क

8

अनुसूची-1 के अनुसार प्रत्येक स्थल के लिये अनुज्ञा शुल्क की धनराशि नियत की जायेगी।

आवंदन समिति 9 (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक आवंटन समितिलिखित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त सदस्य

(दो) निगम का मुख्य अभियन्ता या नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिसूची अधिनियम सदस्य

(तीन) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा नामित लेखाधिकारी सदस्य

(चार) प्रगति अधिकांशी, विज्ञान या सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी में सदस्य-सचिव

निम्न न हों

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवंटन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम 27 के अधीन अनुपूर्वी-1 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम का उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवंटक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सहित समिति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवंटक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धनराशि जमा कर ली जाएगी एवं उसके स्थान पर द्वितीय निविदा दाला को अगर इच्छुक हो तो उसे उच्चतम बोली की

धनराशि पर सहमत की दशा में प्राथमिकता दी जायेगी।

- (6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएंगी।
- (7) विज्ञापन यथा-होर्डिंग, (भू विज्ञापन एवं निजी भवनों के छत विज्ञापन को छोड़कर अन्य छत विज्ञापन), यूनीपोल, बस शैल्टर, गैन्ट्री जनसुविधा पर विज्ञापन, ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड, बरामदा विज्ञापन, डिजिटल स्क्रीन या अन्य कोई विज्ञापन प्रतीत आकाश चिन्ह, गुब्बारा, पताका बैनर विद्युतीय प्रतीक इत्यादि के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी। ट्री गार्ड फ्लावर पार्ट, ग्रीन बेल्ट परविज्ञापन की आवंटन अनुसूची-3 में विहित रीति के अनुसार से की जायेगी।
- (8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।
- (9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, उपविधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क/उच्चतम प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

अनुज्ञा की अस्वीकृति के आधार

10

नियम 6 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह कि:-

- (क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो, वह इस उपविधि के अनुरूप न हो या आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में कोई प्रविष्टि खाली छोड़ दी गयी हो
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
- (ग) विज्ञापन एजेन्सी/संस्था का पूर्व में नगर निगम / स्मार्ट सिटी/जलकल में कोई पावना शेष हो,

दर से कम से कम 10 प्रतिशत या उससे अधिक होगा।

(चार) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए वित्तीय वर्ष/अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के 01 सप्ताह के पूर्व प्राप्त विज्ञापन आवेदनों पर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा, यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

अनुज्ञा की अवधि 12 अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट है। अनुज्ञा, अनुज्ञाके दिनांक से अधिकतम दो वित्तीय वर्ष के लिये देय होगी।

विज्ञापन पर 13 (1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि,

(एक) यह आकार में 12.4 मीटर x 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 20 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो,

(छः) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो

(घात) यह स्थल नियम 27 के अधीन इस प्रयोजनार्थ नियम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता है,

(आठ) यह जल स्थिति में हो जिसके आधी-पानी (बरसात) में अथवा अन्य प्रकार से गिरने की सम्भावना हो।

(नीं) यह लम्बाई से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्राप्तिहित करने वाला हो,

(दस) यह प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(ग्यारह) यह प्रस्तावित विज्ञापन से रूफान या अंधक के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(बारह) यह प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में बाधा या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(तेरह) यह प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों से अस्मित हो

(चौदह) यह विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्पदक्षित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में उ०प्र० नगर नियम अधिनियम 1959 की धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंभल हो

विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अज्ञा नहीं दी जाएगी :

(2)

(एक) ऐसी शक्ति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) समस्त प्रमुख चौराहों/तिराहों से 50 मीटर के भीतर, (ट्रैफिक आइलैंड, जलसंधिवासी पुलिस बूथ को छोड़कर)

(तीन) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, बरत-झण्डियाँ या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो

- (चार) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,
- (पाँच) स्थानीय सुविधायें प्रभावित नहीं की जायेगी
- (3) (एक) सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा,
- (दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,
- (तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके,
- (चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस/कटीले पौधे वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे,
- (पाँच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा,
- (छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियोस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियोस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।
- (4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी :
- (एक) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या वाहन चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे चालन की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।
- (दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।
- (1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल

छत के उपर के
विज्ञापन पट्टों के 14

- (क) बैंगल और प्रदीप विज्ञान/बैंगल जिलाल विज्ञान/एल.ई.डी. स्कूल (किसी प्रकार का एलिन विरवारक यत्र की अनुमति नहीं होगी।)
- (ख) भू-विज्ञान/यूनीपील/कैन्टीलीवर/सैन्टी विज्ञान
- (ग) छल विज्ञान
- (घ) बरमदा/हुकान विज्ञान
- (ङ) दीवार विज्ञान
- (च) प्रक्षिप विज्ञान
- (छ) शास्त्रियान विज्ञान
- (ज) आकाशीय विज्ञान
- (झ) अस्थायी एवं विविध विज्ञान
- (ञ) वैकिक/पुलिस एवं अथवा वैकिक आइडलैण्ड विज्ञान
- (ट) जन सविधा स्थान पर विज्ञान

प्रकार

15 विज्ञान पट्टे के

विज्ञान निनालिखित प्रकार के होंगे:-

- (2) नियम-6 (क) और नियम-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छल पर विज्ञान पट्टे की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैलज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।
- वास्तिक की विनायल या वरन पत्रक ही अनुमन्य है।

संख्य में निर्देशन

- (ठ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
- (ड) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन
- (ढ) ट्री गार्ड/फलावर पॉट डिस्ले
- (ण) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन
- (त) फुट ओवर ब्रिज
- (थ) प्रचार वाहन/ बस पर विज्ञापन
- (द) सांकेतिक पट
- (ध) सिनेमा विज्ञापन
- (न) अभिनव विज्ञापन
- (प) सड़क यातायात चिन्ह
- (फ) इलेक्ट्रानिक दृश्य प्रदर्शन

(क) वैद्युत विज्ञापन
और प्रदीप्त
विज्ञापन

- क-1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री : जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- क-2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन :
प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग-8 भवन सेवायें धारा 2, विद्युत एवं समवर्गीय स्थापन के अनुसार स्थापित किया जाएगा।
- क-3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।
- क-4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या

निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख-6 तल निर्बाधन : सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख-7 भू-चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हों, नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(ग) छत विज्ञापन

ग-1 सामग्री : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

ग-2 अवस्थिति:

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग-3 क्षेपण (प्रोजेक्शन) : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग-4 अवलम्ब और स्थिरक : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में सवितरित होंगे। जिसहेतु संरचना अभियन्ता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

ग-5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) बरामदा
विज्ञान

- ग-6 विहित छल विज्ञान, जहाँ प्रयोज्य हैं, नियम 16 समस्त विज्ञानों हेतु सामान्य अर्थों के अन्वय में हैं।
- ग-7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य कोई ऐसी संस्था जो नगर निगम सीमा में मानचित्र स्वीकृत हेतु अधिग्रहण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
- घ-1 सामग्री : प्रत्येक बरामदा विज्ञान नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अवलमनीय सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- घ-2 आयाम : कोई बरामदा विज्ञान 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञान लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञान के प्रमुख अंगुष्ठांगों के मध्य माथित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञान, परिनिर्मित किया जा सकता है।
- घ-3 संरक्षण : प्रत्येक बरामदा विज्ञान, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञान को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।
- घ-4 स्थान- बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञान पट्टे से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा-
- (एक) बरामदा छल की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छल के गटर से पिछले भाग से वहिनिष्ठ न हो।
- (दो) बरामदा मुंडेर या आलांब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलांब ठोस हो और विज्ञान पट्टिका ऐसी मुंडेर आलांब के बाहरी अग्रभाग से 20 से.मी. से अधिक वहिनिष्ठ न हो।
- (तीन) पेट्टे किए हुए विज्ञान पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुंडेरों पर।
- घ-5 लटकते हुए बरामदा विज्ञान पट्टिकाओं की ऊँचाई- किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञान पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।
- घ-6 प्रदीपण : घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञान पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ड) दीवार
विज्ञापन
(प्रतिबन्धित)

नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण
विज्ञापन
पट्टिकाएं

च-1 सामग्री : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च-2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई : कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के समकोण (Right Angle) पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

च-3 अवलम्ब एवं संलग्नक : प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च-4 अतिरिक्त भार : ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त

- (ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी ब्यरर, बीम या आलस के ऊपर या नीचे
- (क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच में की या लगायी गयी हो।

प्रकार: अ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी:-

अ अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ : सचल सड़क विज्ञापन पट्टिकाएँ भेला विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

(ब) अस्थायी विज्ञापन पट्टिका

ब- आकाश विज्ञापन पट्टिका : आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होगी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल यात्री आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

ख-3 लम्बाई : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षेप नहीं होगी।

ख-2 ऊँचाई : ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

ख-1 सामग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अवलमशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

(ख) शामियाना विज्ञापन पट्टिका

भार को धाम के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कठिण रूप से भार जलाने के बिन्दु पर या अत्यधिक उल्के-दीप्त भार जलाने के बिन्दु पर जाला गया कठिण क्षतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वर कठिण भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि आतिशबाजी भार को धाम से निकाला जा सके।

प्रक्षिप्त हो।

- (ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।
- (घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।
- (ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।
- (च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के अनुज्ञापित प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।
- (छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए सम्भावित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुण 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और प्लैट के किसी ब्लॉक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी प्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और
- (ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ-2 अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता :

- (एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट संरचना अभियन्ता/ सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त नगर आयुक्त की स्वीकृति के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।
- (दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाय, तत्काल हटा दिया जायेगा।

अपेक्षाएँ

- (2) **प्रदीप्ति :** कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-8 भवन सेवाएं खण्ड-2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।
- (3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :**
- (क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आयेगी।
- (ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।
- (ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।
- (घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएँ लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।
- (ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएँ स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- (च) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे ब्रेल पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (छ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।
- (4) **दहनशील पदार्थों का प्रयोग :**
- (एक) **सजावटी विशिष्टता :** ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहाँ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

रूप में स्वतंत्र रूप से आकांक्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञान अगुजा शृंखला देय होगा।

(बी) परन्तु यदि कोई विज्ञान लटककर, विपत्तिकार अथवा किसी अन्य शक्ति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विकल्प की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण व विन आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञान के

अधीन विज्ञान अगुजा शृंखला देय नहीं होगा।

(एक) यदि सामग्री बेई जाने वाली दृकान का नाम फलक लटककर, पीटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय तो प्रत्येक दृकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञान पट्टे को विज्ञान पट्टे नहीं माना जाएगा और वह इस उपविधि के

स्पष्टीकरण :

स्टीकर चरपा करके, पीटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
किसी दृकान पर कोई भी विज्ञान नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अगुजा शृंखला के पूर्व भूगतान के बिना दफती लटककर,

17

दृकानों पर
विज्ञान

(7)

सभी विज्ञानकर्ताओं को विज्ञान द्वारा का ऐतिय पक्ष (एड एट्टी) धीमा करना अनिवार्य होगा।

समय-समय पर नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाए।

(6) अगुजा पत्र के ब्यारे का प्रदर्शन : अगुजा-पत्र का ब्यारा और अगुजा की समालि का दिनांक प्रत्येक विज्ञान पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नमन नहीं से देखा व पढ़ा जा सके। इसके प्रदर्शित किए जाने का प्राकप वही होगा जो

द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा लकाल मरम्मत कर देना चाहिए।
क्षिणल या किसी अन्य सांख्यिक उपयोजिता सेवा को क्षति पहुँचाती है तो विज्ञानकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम

क्षतिपूर्ति विज्ञानकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञान पट्टिका के हटाय जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञान पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विकृपण की

जब भी कोई विज्ञान पट्टिका हटाई जाय याहें यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा

(5) विज्ञान पट्टिकाओं को हटाय जाने से नुकसान या विकृपण :

वाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अर्धन के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।
अभ्याग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी

(बी) विज्ञान पट्टिका का फलक : विज्ञान अगुजा दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक

मार्गाधिकार (राष्ट्रीय 18
राजमार्ग/राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण
को छोड़कर) के
भीतर अनुज्ञा प्राप्त
विज्ञापन

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी—

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन—

(एक) अभिकल्प: विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुण 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) बस सायबानों पर विज्ञापन:—अभिकल्प: बस सायबानो (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नंबर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :—नियम-13 (2) में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर X 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) यातायात रोटरी/सड़क: नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/ पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ : नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर

ऐसे सांकेतिक पटों के लिये अनुमत्य नहीं होगी, जिसमें किसी संस्था का विज्ञापन हो रहा हो।
उनकी माप 0.6 मीटर गुण 0.6 मीटर से अधिक न हो तथा किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो। यह छूट या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्टे, परन्तु यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्टे, संकेतक, यातायात चिह्नवर्गी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश

(चार)

जायगा।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे पत्रिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्टे पर प्रदर्शित किया

(तीन)

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्टे पर प्रदर्शित किया जाये।

(दो)

(एक) यदि किसी कार्यालय, दूकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।
कार्यालय, दूकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्टे पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे

(एक)

इस उपबन्ध की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी:-

(1)

19-

छूट

उसके संरक्षण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्टे की चौड़ाई दोनो ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पत्र को

है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्टे के निचले भाग का उर्वर निकाल 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
मीटर की दूरी होगी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुण 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्टे अपने दोनो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते
पत्र स्टैंड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पत्र स्टैंडों के मध्य कम से कम 05
पुष्प पत्र स्टैंड (पल्लार पॉट स्टैंड) : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प

(7)

करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े हिवाड्डेयों पर ट्री-गाई लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।
रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित
वृक्ष रक्षक (ट्री गाई) : नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं

(6)

मी. होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी. होगी।

और मुख्यतः पेंट करने के लिए आवेष्टकर होगा। इस पर लगाने वाले विज्ञापन पट्टे का अधिकतम आकार 0.45 मी. गुण 0.75
को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने
नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त

- (पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो एवं सार्वजनिक रूप से सड़क से दर्शित न हो।
- (छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह .90 वर्गमीटर से अधिक न हो।
- (सात) इसके अतिरिक्त नियम 19के उप नियम (2) (3)व (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रखरखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।
- (2) दीवार विज्ञापन पट्ट : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (एक) भण्डारण विज्ञापन पट्ट : किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।
- (दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट : किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।
- (तीन) नाम पट्ट : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो परन्तु किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो।
- (चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों परन्तु किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो।
- (3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट :
- (एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।
- (दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये

नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से या नाटक कार्टिकम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष व्यापार का नाम यथा "वैलरस", "कैफ", "हॉसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा के नाम, जो उस परिसर के अस्थासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, बलावे जा रहे साधारण व्यवसाय या किसी बरामदे/दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म

की घोषणा के बिन्दु पर प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अधीन कर सकता है, जिसका विनियम अन्तिम होगा।

अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यतिरिक्त अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की उपनियम (1) के उपबन्धों के अन्वयेन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया

किया जा सकता है।

नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचाने या उसके विरुद्ध होने की सम्भावना हो, जो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष उच्च कमी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अस्था अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार

आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

को अगतर एक माह के लिए बर्खास्त जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अगतर अवधि के लिए हो तो नगर प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमन्त्र होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा

नटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्णित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लाने, बरसा कराने, लिखने, रेखांकन करने या आच्छादित नहीं है जो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, यदि नियम-27 एवं अनुबंध-1 (जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है) द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन

जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई बाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है। (नियम-15 ब(2) 'अस्थाई विज्ञापन पट्टे के लिए आवश्यकता' देखिए)

(3)

(2)

(1)

(2)

(1)

विशेष नियन्त्रण क्षेत्र 21

विशेष विज्ञापन 20

		सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।
		(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।
आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन	22	उपविधि में अन्य बातों के प्रतिकूल न होते हुए यदि भविष्य में विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो नगर निगम की स्वीकृति के उपरान्त नगर आयुक्त उक्त में संशोधन करने के लिए अधिकृत होंगे।
झण्डियों पर रोक	23	(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डा का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा। (2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी। (3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डा दो सौ रुपये से कम नहीं होगी। (4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डा को हटा सकता है और उसे समपह या विनष्ट कर सकता है।
अनुरक्षण और निरीक्षण	24	(1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा। (2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे। (3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण <u>प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)/नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी कभी भी कर सकता है।</u>

प्रवेश और निरीक्षण 25
की शक्ति

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहयकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अत्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अत्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(बी) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(सी) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुकूल हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की भूमि या भवन के अत्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोजिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

(1) सफल बौलीदाता द्वारा प्रस्तावित कुल धनराशि एकल किस्त में अथवा दो किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान दो किस्तों में करना होगा यथा—प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापनपट्ट माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुच्छेद-1 में अधिक दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन हेतु विज्ञापनपट्ट तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा शुल्क की दर अनुच्छेद-1 में अधिक दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगी।

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रविष्टि क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विवरण नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा, जिसका पूर्व निर्धारण अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

(एक) निविष्टि श्रेणी क्षेत्र
(बी) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

क्षेत्रों का वर्गीकरण 27-

भुगतान की शक्ति 26

(1)

(सी)

(बी)

(एक)

(तीन) 'अ' श्रेणी क्षेत्र

(चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र

(पाँच) 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) (क) निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :

• न्यायालय परिसर, सरकारी भवन, समस्त पुल, समस्त धार्मिक स्थल, समस्त ऐतिहासिक भवन एवं समिति द्वारा निर्धारित निषिद्ध

नगर आयुक्त वी.वी.आई.पी. मूवमेंट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये अधिकृत होंगे।

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र :

• मरे कम्पनी पुल से मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग, आदर्श व्यायामशाला से कचहरी चौराहा, एस0पी0 ऑफिस , एम0जी0कालेज सिविल लाइन्स होते हुये लाल इमली तक। लाल इमली से मर्चेण्ट चैम्बर तक। आर्यनगर, तिलकनगर, स्वरुपनगर। अशोक नगर, 80 फिट रोड, पी0 रोड, लेनिन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्षनगर चौराहा, नेहरु नगर आचार्य नगर, रामकृष्ण नगर।

• मेघदूत तिराहा से बड़ा चौराहा, बड़ा चौराहा से परेड होते हुये लाल इमली चौराहा से चुन्नीगंज चौराहा से बकरमण्डी से बेनाझाबर तिराहा से मोतीझील शिवाजी द्वार, मेडिकल चौराहा से रावतपुर स्टेशन तक, रावतपुर स्टेशन तिराहा से कम्पनी बाग चौराहा तक एवं कम्पनी बाग चौराहा से रानीघाट चौराहा से रेव थी चौराहा से टैपको चौराहा से मर्चेण्ट चैम्बर तिराहा से ग्रीन पार्क चौराहा से डी0ए0वी0 कॉलेज तिराहा से गोरा कब्रिस्तान से सरसैय्या घाट चौराहा से महफिल रेस्टोरेन्ट होते हुये मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग।

• रावतपुर रेलवे स्टेशन से कल्याणपुर होते हुये आई0आई0टी0 तक।

• नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से मरियमपुर हास्पीटल चौराहा होते हुये विजय नगर चौराहा तक। नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से देवकी चौराहा होते हुये छपेड़ा पुलिया तक।

• गोल चौराहा नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से कोकाकोला चौराहा से गुमटी नं0-5 से जरीब चौकी चौराहा से अफीम कोठी चौराहा से

- अशोक नगर, 80 फिट रोड, लीनिन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्षनगर चौराहा, नेहरू नगर, आचार्य नगर, रामकृष्ण नगर।
 - मजुशी सिनेमा हॉल घण्टाघर से यात्रा नेहरू अस्पताल होते हुये हिंटी पड़ाव चौराहा से सीसामऊ थाना तक।
 - एक्सप्रेस वे से घण्टाघर चौराहा से टाटमिल चौराहा (घास) और 100 मी० परसिछि छोडकर) बाँकराल चौराहा से किदवई नगर चौराहा होते हुए यशादा नगर बाईपास तक।
- (वीन) अ' श्रेणी क्षेत्र :
- एम०आइ०जी० तिराहा से पनकी बी ब्लॉक क्रॉसिंग सखी मण्डी तक।
 - विजय नगर चौराहा से दादानगर चौराहा होते हुये सी०टी०आइ० चौराहा से यान्त्री चौक तक।
 - कल्याणपुर क्रॉसिंग से अरमापुर नहर तक।
 - विजय नगर से उबल पुलिया शनैश्वर मन्दिर चौराहा होते हुये प्रेसीडेन्ट होटल आवास विकास कल्याणपुर तक।
 - गुमटी नं०-९ से नमक फौदरी चौराहा तक।
 - रेव मोती से देवकी चौराहा होते हुये उबल पुलिया तक।
 - गगिनन्द नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
 - मरियमपुर हास्पीटल चौराहा से कबाड़ी मार्केट चौराहा से फजलाल चौराहा होते हुए बैंक आफ बहीदा चौराहा से गगिनन्दपुरी पुल से यात्रा मार्केट से नन्दलाल चौराहा से दीप टाकीज से बरी बाईपास तक।
 - तथा रामदेवी चौराहा से जालमऊ मुख्य मार्ग (पुरानी बुंगी तक)।
 - शकरकटी बस स्टेशन से टाटमिल चौराहा (घास) और 100 मी० परसिछि के अन्दर) से पी०ए०सी० मोड होते हुए रामदेवी चौराहा तक।

- अफीम कोठी चौराहा से बारादेवी चौराहा होते हुये गौशाला चौराहा से नौबस्ता चौराहा तक, नौबस्ता चौराहा से दासू कुआँ से आवास विकास हंसपुरम् कालोनी से गल्लामण्डी से कानपुर नगर सीमा तक ।
- रामादेवी से रुमा तक कानपुर नगर निगम सीमा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग ।
- रामादेवी से यशोदानगर बाईपास मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग ।
- श्यामनगर, देहली सुजानपुर, करही, नौबस्ता, जरौली, लालबंगला, तिवारीपुर, जाजमऊ, गाँधीग्राम, कृष्णानगर, किदवई नगर सम्पूर्ण क्षेत्र ।
- जाजमऊ नई चुँगी चौराहे से पुरानी चुँगी तक(वी0आई0पी0 रोड)
- किदवई नगर चौराहा से साइट नं0-1 चौराहा से बारादेवी चौराहा तक एवं गोबिन्द नगर जाने वाले मार्ग पर ।
- बाबा कुटी साउथ एक्स मॉल से साइट नं0-1 चौराहा तक । ,
- किदवई नगर एच ब्लाक तिराहा से संजय वन होते हुए सोटे वाले हनुमान मन्दिर से गौशाला चौराहे से थाना किदवई नगर से दीप टाकीज तिराहा तक ।,
- हर्ष नगर पेट्रोल पम्प से कोकाकोला चौराहे तक ।
- गुमटी नं0-5 रेलवे क्रासिंग से सन्त नगर चौराहा होते हुये कालपी रोड तक ।
- जरीब चौकी रेलवे क्रासिंग से फजलगंज चौराहा से विजय नगर चौराहा से अर्मापुर इस्टेट से नहरिया होते हुए भाटिया तिराहे से भौंती बाईपास तक ।
- भाटिया तिराहे से पनकी हनुमान मन्दिर चौराहा तक ।
- दादानगर व पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया सम्पूर्ण क्षेत्र ।

- कम्पनीबाग वीरहा से डाकघर वीरहा एल0आई0सी0 वीरहा होते हुये वी0एफ0एफ0डी0 कालेज होते हुये बैराल रोड तक ।
- कम्पनीबाग वीरहा से रामचन्द्र वीरहा से बैराल तक ।
- अणुपुरी मोड से सेल टैक्स रोड तक ।
- नया शिवली रोड, बारा सिरोही नहर तक ।
- अहिरवाँ, सानिवाँ, कोयलानगर, पोखरपुर, हंसपुरम वॉटर पार्क के आसपास ।

(घर) 'ब' श्रेणी क्षेत्र :

- मरियमपुर हास्पीटल वीरहा से कोकाकोला वीरहा तक ।
- मसवानपुर वीरहा से पनकी कल्यानपुर रोड तक ।
- नारदीर वीरहा से गुलसी नगर तक तथा काकादेव के आन्तरिक मार्ग सम्पूर्ण क्षेत्र ।
- मनोरमा गेस्ट हाउस (विकास नगर) से रामा मेडिकल कालेज तक ।
- कल्यानपुर इन्द्रानगर मोड से सी0एन0जी0 पेट्रोल पम्प होते हुये विडियाघर रोड तक ।
- गुरुदेव से विडियाघर होते हुये बैराल तक ।
- सवान गेस्ट हाउस वीरहा से शास्त्री चौक वीरहा से रतनलाल नगर होते हुए दबौली, गुर्वीनी, बडैपास तक के समस्त क्षेत्र ।
- गुँही परमपुरवा सम्पूर्ण क्षेत्र ।

- चिड़ियाघर चौराहे से एच0बी0टी0यू0 गेट तक ।
- बितूर मोड़ से डी0पी0एस0 स्कूल तक ।
- बम्बा रोड कल्यानपुर ।
- गीतानगर क्रॉसिंग से हरी गर्ल्स हॉस्टल तक ।
- दलहन क्रॉसिंग से मसवानपुर चौराहे तक ।
- बगिया क्रॉसिंग से केस्को चौराहे तक ।
- एलिम्को से नानकारी तक ।
- ननकारी जाने वाले जी0टी0रोड क्रॉसिंग से चन्देल गेट व प्रधान गेट तक ।
- चिड़ियाघर चौराहे से मैनावती रोड पर जैन इन्टरनेशनल स्कूल तक ।
- शास्त्रीनगर सेन्ट्रल पार्क के आस-पास का परिक्षेत्र ।
- मसवानपुर चौराहे से मसवानपुर होते हुये सराय चौराहा तक ।
- आवास विकास यूको पार्क के आस-पास का परिक्षेत्र ।
- गोवा गार्डन क्रॉसिंग से माधवपुरम् होते हुये आई0आई0टी0 दक्षिणी गेट तक ।
- बुद्धा पार्क (इन्द्रानगर) के आस-पास का परिक्षेत्र ।

(2) उप नियम (1) में आर्किटेक्चर किसी बात को हटाने के लिए भी, इस उपबन्ध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धाराओं के अन्तर्गत और तीन सप्ताहों से अनाधिक धाराओं तक हटाने पर नगर आयुक्त या इस निर्देश

(1) इस उपबन्ध के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु. 10,000/- (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करने वाले को दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

- (1) इस उपबन्ध के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु. 10,000/- (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करने वाले को दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- (क) 6.1 X 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे
- (ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्टे
- (ग) किसीदीवार/किसी सतह पर बोल पेंटिंग विज्ञापन साफ करना
- (घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को
- रु. 10,000/- प्रति
- रु. 15,000/- प्रति
- रु. 5,000/- प्रति
- रु. 30,000/- प्रति

हटाने जाने की लागत 28 नियम 13 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे को हटाने या साफ़ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी- लागत

उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत उल्लिखित मामलों के अनिश्चित (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)।

(पृष्ठ) स' श्रेणी क्षेत्र :

अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रथम

29

		उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।
विवाद का निस्तारण	30	(1) पक्षकारों के मध्य (नगर निगम व विज्ञापनकर्ता) कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण महापौर महोदय/महोदया द्वारा अथवा महापौर महोदय/महोदयाद्वारा अधिकृत अधिकारी या अधिकारियों की समिति के समक्ष कोई भी पक्षकार विवाद प्रेषित कर सकता है। दोनों पक्षकारों को सम्यक सुनवायी का अवसर देने के उपरान्त महापौर महोदय/महोदया अथवा अधिकृत अधिकारी या अधिकारियों की समिति विचार कर निर्णय देगी। यह निर्णय अन्तिम होगा। (2) महापौर महोदय/महोदया, पक्षकारों की सहमति से प्रकरण पंचाट निर्णय के लिये भेज सकता है। पंचाट का निर्णय अन्तिम होगा। पंचाट की नियुक्ति महापौर महोदय/महोदयाद्वारा पक्षकारों की सहमति से की जायेगी। पंचाट निर्णय को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
स्क्रेप की नीलामी	31	नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, ग्रिल, घेरा, ढाँचा आदि को चाहें वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़जा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रेप व कबाड़ को अधिनियम की धारा-521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा	32	निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें।

अनुसूची-1

(नियम 8 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए—

4. बस स्टैंड/पुलिस बूथ/ट्रेनिक आइसोलेट/कैन्टीन/पब (ट्रेनिक सिमाना)/पीपी :-
- (1) प्रथम श्रेणी क्षेत्र : रु. 6000/- (छः हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (2) अ श्रेणी क्षेत्र : रु. 5000/- (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000/- (तीन हजार पाँच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000/- (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. विद्युत पोल/ट्री-गार्ड/फर्शवर पॉट/जान सुविधा पर विज्ञापन पट-
- (1) प्रथम श्रेणी क्षेत्र : रु. 5000/- (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 4000/- (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000/- (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000/- (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. एक स्वाम (प्रीप्रीज) पर विज्ञापन पट-
- (1) प्रथम श्रेणी क्षेत्र : रु. 3200/- (तीन हजार दो सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2400/- (दो हजार चार सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000/- (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 1600/- (एक हजार छः सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

- (3) ब श्रेणी क्षेत्र : रु. 4000/- (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (4) स श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000/- (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5. (1) एल.ई.डी. स्क्रीन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरो पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
- (2) ट्यूबलाइट, एल.ई.डी. लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरो पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
- (3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 की निर्दिष्ट दरों का 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
6. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)
- (एक) हल्का वाहन : रु. 10,000/- (दस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- (दो) भारी वाहन : रु. 40,000/- (चालीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- (2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर-
- (एक) तीन पहिया : रु. 300/- (तीन सौ) प्रति दिन
- (दो) चार पहिया : रु. 1000/- (एक हजार) प्रति दिन
- (तीन) छः पहिया : रु. 1500/- (एक हजार पाँच सौ) प्रति दिन
7. पर्चा (हैण्ड बिल) : रु. 2000/- (दो हजार) प्रति हजार

- 8 गुब्बार : रु. 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन
- 9 छत्ती (कौपी) : रु. 500/- (पाँच सौ) प्रतिदिन
- 10 आटे रिक्शा शी-बीलर : रु. 2000/- (दो हजार) प्रतिवर्ष प्रति आटे
- 11 बर्सी पर : रु. 5000/- (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- 12 रेलवे की जमीन पर लगाने वाली होटिंग विस्तार काम सड़क के समूह होने की दशा में अनुसूची-1 में आिकत अनुज्ञा शृंक्त की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।
- 13 उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शृंक्त सद सद्व्या-1 के अनुसार लिया जायेगा।
- 14 ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु. 200/- प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन
- 15 जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शृंक्त क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।
- 16 निजी मूषि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सर्टिफिकेशन का प्रमाण-पत्र, भवन स्वामी का अनुबंधनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनुमति प्रमाण पत्र सम्बन्धित की प्रस्तुत करना होगा।
- 17 इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शृंक्त की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपरोक्त प्रवृत्त हुई हों, के एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद इस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नगर

आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त प्रभावी होगी।

18. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
19. स्वीकृत विज्ञापनपट/यूनीपोल/गेन्द्री/कैन्टीलीवर के लिए जोनवार अलग-अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से चिन्हाँकन करना अनिवार्य होगा।
20. नगर आयुक्त को किसी भी विज्ञापनपट को भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अधिकृत करने का अधिकारी होगा और उसके लिए कोई भी क्षतिपूर्ति देय न होगी।

स्पष्टीकरण:-

1. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते हैं कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।
2. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष उ०प्र० नगर निगम अधिनियम-1959 के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

प्रपत्र सं.

मूल्य रु. 1,000/-+ (जी०एस०टी०)

अनुसूची-2

प्रारूप- 1

पंजीकरण आवेदन-पत्र

(देखिए उप-विधि 5(1))

नगर निगम, कानपुर

निदेशक / स्वामी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

10. अभिकरण के प्राधिकृत इस्तेमाली के लिए न किसी व्यक्तिक निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र,

09. पिछले 03 वर्षों की बैलेंस शीट/अनुपस्था की स्थिति में उचित आंश का शपथपत्र।

08. निदेशक या निदेशकों का किसी अन्य अभिकरण में किसी मामले में दोषी न होने का शपथपत्र

07. अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव का विवरण,

06. पिछले 03 वर्षों के विज्ञापन कारोबार में अभिकरण का अनुभव, यदि कोई उपलब्ध है,

05. कम्पनी के समय विज्ञापन तथा संगम अनुबंध

क्रम संख्या	कर्म का नाम	टी०आर०ई०एन० नम्बर	मोबाइल नम्बर	ई-मेल पता
(2)				
(1)				

04. निदेशकों/स्वामियों/भागीदारों के बारे

कर्म

ई-मेल पता

03. टेलीफोन नम्बर

व्यापार

02. रजिस्टर्ड पता

01. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या संशोधित दलित भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन बारी सहित कम्पनी/कर्म/अभिकरण/स्वामी का नाम:

बाहरी विज्ञापन प्रदर्शन के लिये पंजीकरण

11. कानपुर नगर निगम में पिछले 05 वर्षों में प्राप्त विज्ञापन अधिकारी/अनुमति के ब्यौरे,
12. शपथपत्र कानपुर नगर निगम में उसके विरुद्ध कोई भुगतान हेतु राशि लम्बित नहीं है,
13. संस्था की किस्म.....
14. पैन नम्बर
15. जी०एस०टी० नम्बर
16. पंजीकरण राशि

17. क्या आवेदक फर्म/कम्पनी को पिछले 03 वर्षों में किसी भी सरकारी संस्था नहीं

द्वारा काली सूची में डाला गया है, (यदि हाँ तो विवरण लिखे)

18. क्या आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई लम्बित बकाया है हाँ नहीं

19. यदि हाँ कुल लम्बित राशि का विवरण दें

20. क्या आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित है हाँ नहीं

(यदि हाँ तो विवरण लिखे)

मैं/हम, कानपुर नगर निगम द्वारा विज्ञापन उपविधि 2021 हाँ सहमत

निबन्धनों तथा शर्तों तथा मार्गदर्शनों का पालन करूंगा।/करेंगे।

उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रामाणिक है तथा इसके सम्बन्ध

में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामलों में रजिस्ट्रेशन रद्द हो जायेगा।

(ऑफ लाइन प्रस्तुतिकरण के मामलों में, कृपया इस प्रारूप का प्रिंटआउट ले तथा "नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम में भुगतान योग्य" के पक्ष में नगर निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि केडिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें।)

काजुपर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहरी विधानों के प्रदर्शन (ऑनएमंडींग) को लगाने के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आवेदन संख्या दिनांक के सदर्थ में है।

.....
.....

सेवा में,

संख्या..... दिनांक.....

(देखिए उप-विधि 5)

अनुमोदन प्रारूप

प्रारूप-1 (क)

1. टिप्पणी- यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

दूरभाष-.....

पता-.....

नाम.....

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर

नोट- सभी सूचना भरना अनिवार्य है।

1. यह केवल एक प्रतीकी प्रारूप है तथा समय-समय पर उपविधि के नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है। वेबसाइट से नवीनतम संस्करण हमेशा प्रयोग किया जाना है।

टिप्पणी:-

श्रीमान जी,

यह बाहरी प्रदर्शन के ओ०एम०डी० को लगाने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन के बारे में आवेदन के संदर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है।

1. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है और आपको यूनिक आई०डी० पहचान संख्याआवंटित की गई है। कृपया नगर निगम कानपुर में सभी आगामी पत्राचार तथा नगर निगम.....की वेबसाइट पर आपके लेखे को सक्रिय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए।
2. आपकी नई स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकृत किया गया है—
 - अधूरा आवेदन।
 - दी गई गलत सूचना।
 - नगर निगम, स्मार्ट सिटी/जलकल विभाग नगर निगम में लम्बित देय।
 - काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है।
 - अन्य।

नगर आयुक्त

नगर निगम कानपुर

01. टिप्पणी— आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
02. टिप्पणी— यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

फार्म संख्या—

आवेदन मूल्य—500/-+ (जी०एस०टी०) प्रति स्थल

प्रारूप-2

(1) सम्बन्धित भवन स्वामी की अनापूर्ति प्रस्तुत करें।

13. निजी भवन/भूमिगत पर अग्नि की स्थिति में

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष	वकालत धरना	वकालत का कारण स्पष्ट अंकित करें।	अवशेष हेतु कोई प्रत्यावर्तन कार्यालय स्तर पर लक्षित है साक्ष्य सहित संलग्न करें।

12. पूर्ववर्ती वकालत का विवरण:-

11. स्थल का नजदी नक्शा(जीओथीओएस को आर्किटेक्चर के साथ)नगर निगम द्वारा विकीकरण के अनुसार संलग्न करें

10. भवन की विशिष्टता-पूर्ववर्ती वर्षों के अन्य संस्थाओं के साथ विशिष्ट विज्ञापन कार्ड का विवरण एवं वर्तमान में नगर निगम के साथ कार्ड हेतु प्रस्तावित विशिष्ट कार्ड योजना प्रथक से संलग्न करें।

9. संस्था की स्थिति में निर्देशकों/पार्टनरों का विवरण

8. आवदन/संस्था पर पूर्ववर्ती वकालत की स्थिति

7. कानपुर नगर निगम में पंजीकरण संख्या-

6. जीएफसीटी नंबर-

5. पैन नंबर-

4. बीबीएल नंबर-

3. ई-थैल आईडी-

2. पता-

1. आवेदक या संस्था का नाम-

क्र० सं०

भाग-1

विज्ञापन हेतु आवेदन-पत्र

दस्तावेज उपलब्ध 6, 9, 10

(2) संरचना अभियन्ता का वांछित प्रमाण-पत्र

(3) स्थल की प्रस्तावित फोटोग्राफ

(4) स्थल का नजरी नक्शा (जी०पी०एस० कोआर्डिनेट्स के साथ)भवन स्वामी एवं आवेदक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित

मैं निवासी- द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020' को पूर्ण रूप से समझते हुये उपविधि में दिये गये नियमों/उपनियमों, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर निगम के द्वारा भविष्य में दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

पता-

दूरभाष नम्बर-

विज्ञापन हेतु आवेदन-पत्र

(भाग-2)

क्र० सं०

1. आवेदक या संस्था का नाम-

2. पता-

3. ई-मेल आई०डी०-

4. मोबाइल नम्बर-

5. फ़ैन नम्बर-

6. जी०एस०टी० नम्बर-

क्र० सं०	शपथ संख्या / अस्थापी का नाम	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल	जान	वाड	यूनिक आइडेंटिफिकेशन	अवधि	अनुज्ञा शिक्क (नगर निगम द्वारा निषिद्ध)	अन्यथा धनराशि (विवरण सहित)
----------	-----------------------------------	-----------------------	------	------	-----	-----	------------------------	------	---	-------------------------------------

9. अतिरिक्त शपथ एवं शीतल पर आण्डरग्राउंड (आउटडोर शीटिंग सिस्टम) हेतु

क्र० सं०	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल (जी०पी०ए०एस० कोऑर्डिनेट्स के साथ)	जान	वाड	यूनिक आइडेंटिफिकेशन	अवधि	अनुज्ञा शिक्क (नगर निगम द्वारा निषिद्ध)	न्यूनतम शीतलधन (नगर निगम द्वारा निषिद्ध)	अन्यथा धनराशि (विवरण सहित)
----------	-----------------------	------	--	-----	-----	------------------------	------	---	--	-------------------------------------

(क) नगर निगम के स्वामित्व वाले शीतल / सन्धिलिपि पर आण्डरग्राउंड (आउटडोर शीटिंग सिस्टम) हेतु

8. नवीनीकरण / एकल विज्ञापन / विज्ञापन समूह का विवरण (नगर निगम सीमान्तगत शीतल या सन्धिलिपि का)

7. कानपुरनगर निगम में पंजीकरण संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. धनराशि का विवरण संलग्न करें।

मैं निवासी- द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020' को पूर्ण रूप से समझते हुये उपविधि में दिये गये नियमों/उपनियमों, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर निगम के द्वारा भविष्य में दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

पता-

दूरभाष नम्बर-

1. टिप्पणी- यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

प्रारूप- 2 (क)

(देखे उपविधि 10.11)

आवेदन का अनुमोदन-पत्र

संख्या

दिनांक

क्र० सं०	भवन संख्या/अध्यासी का नाम	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी० व बार कोड	अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि	अभियुक्ति

- उपरोक्त सूची के अनुसार बाहरी मीडिया के निर्माण/प्रदर्शन के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है। आपको, इसके द्वारा इस पत्र के जारी होने के सात दिन के भीतर रूपये की अनुज्ञा शुल्क प्रीमियम सहित जमा कराने के लिए निर्देशित किया जाता है।
- नई ओ०एम०डी० के लिए आवंटित एकमात्र आई०डी०..... है। नये मीडिया/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकार है:-
 - अधूरा आवेदन।
 - दी गई गलत सूचना।
 - नगर निगम में लम्बित देय।
 - काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है।
 - अन्य।

नगर आयुक्त

नगर निगम, कानपुर

तारीख.....

उपरोक्त की प्रति श्री(सम्पत्ति का स्वामी), पता-की सूचना करते हुए तथा कथित करते हुये तथा कथित करते हुये कि आप दायी होंगे यदि अभिकरणजिसके साथ अपने संविदा करार की है(प्रति संलग्न) उपरोक्त जारी अनुमति के दृष्टिगत नगर की ओर किन्ही देयों के भुगतान में चूक की है और नगर निगम को कानपुर नगर निगम अधिनियम 1994,(1994 का 16), की धारा 130 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति के अधीन ऐसी सम्पत्ति के कुर्की या विक्रय के रूप में राशि की वसूली करने का अधिकार होगा। आगे उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद आप द्वारा किसी प्रकार के अप्राधिकृत प्रस्ताव में आप दायी ठहराये जायेंगे।

नगर आयुक्त

2. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा 15 दिन के नोटिस पर कारर के समापन के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। यदि कारर के निबन्धों तथा शर्तों की पूर्ण को दशा में कारर द्वारा समायोजित हो जाएगा।

उपरोक्त 2020 के उपबन्धों का पालन करने के लिये स्पष्ट रूप से सहमत है तथा यथावत् है।

1. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उ०म० नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा कानपुर नगर निगम (आवक वित्त विज्ञापन) का विनियमन और नियंत्रण एवं अंशदान के विनियमन और

इसलिए अब यह कारर साक्षी है तथा यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके पक्षकारों द्वारा तथा बीच किया गया है:-

उपरोक्त निर्दिष्ट स्वामी- के परिसर में दिनांक - से - तक अवधि के लिए प्रथम पक्षकार को आवेदन किया है, सम्पत्ति के स्वामी के साथ द्वितीय कारर किया गया है।
उप-विधि, 2020 के उपबन्धों के अधीन ऑपरमंडो के निर्माण तथा प्रदर्शन के लिये अपनी सम्पत्ति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिये अपनी सम्पत्ति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आवेदन आई०डी०-द्वारा
विकास के लिए द्वितीय पक्षकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सत्र 1959) की धारा-305, 306, 452 एवं 541(41) (42) (48) तथा कानपुर नगर निगम विज्ञापन
शर्तों के द्वितीय पक्षकार ने स्थित, श्री/श्रीमती..... के स्थित, श्री/श्रीमती..... द्वारा स्वामित्वधीन भूमि/भवन पर बाहरी मंडिया यन्त्र के प्रदर्शन के लिये आवेदन किया है

द्वितीय पक्षकार के उत्तराधिकारी समनुदेशित भी शामिल है।
..... के श्री/श्रीमती, (स्वामी/भगीदार निदेशक) जब तक अभिव्यक्ति सन्दर्भ या उसके अर्थ के प्रातिकूल नहीं होगी। इसमें
इसमें इसके बाद द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट बाहरी मंडिया अभिकरण के रूप में नगर निगम से पूर्णतः अपना पूर्णतः कर्तव्य में रखने वाली फर्म से प्राप्त

तथा

को (शहर का नाम) में किया गया है।
इसमें उसके प्रथम प्रकार के उक्त आधिकारी तथा समनुदेशित शामिल है) के द्वारा नगर निगम, (अंशदान शुल्क) जिसका कर्तव्य में है, के बीच दिनांक
यह कारर आयुक्त, नगर निगम, निसे, इसमें, इसके बाद प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अर्थ के प्रातिकूल नहीं होगी तथा

मानक सीविका कारर

(द्वितीय उपविधि 4)

शुल्क-3

द्वितीय- यह केवल श्रीकान्तक शुल्क है तथा यह समय-समय पर नगर निगम द्वारा कमाना/संशोधन के अधीन है।
द्वितीय- आवेदन की अर्जा के माप में आप उपरोक्त शर्तों की पूर्णतः होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।

नगर निगम, कानपुर
साक्षी

3. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा वचन देता है कि ओएम०डी० के सनिर्माण तथा विज्ञापन का प्रदर्शन स्वामियों से या सम्बन्धित भवन या अड़ोस-पड़ोस के भवन तथा/या परिसरों की वायु, प्रकाश तथा संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
4. द्वितीय पक्षकार आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वे प्रथम पक्षकार द्वारा उनके विरुद्ध किये गये किसी दावे, वाद तथा दायित्वों के लिये उत्तरदायी होंगे।
5. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगामी वर्ष के लिये वार्षिक अनुज्ञापित शुल्क अग्रिम में समय पर जमा करवाने के लिये सहमत है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम फीस भुगतान वार्षिक अनुज्ञापित शुल्क की समाप्ति से पूर्व जमा हो गई है, जिसमें असफल होने पर अनुज्ञा रद्द किये जाने के लिए उत्तरदायी है। अनुज्ञापित शुल्क (प्रीमियम सहित) के जमा न करने के मामले में करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी जब्त हो जाएगी तथा लम्बित देय, यदि कोई हो, समायोजित किये जाएंगे।
6. कि निजी भवन एवं भूमियों पर विज्ञापन की दशा में इस उपविधि की धारा-6(क) के अधीन भवन स्वामी को इस आशय की सूचना प्रेषित की जाये कि उ०प्र० नगर निगम अधिनियम-1959 के प्रावधानों के अनुरूप विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान न होने की स्थिति में बकाये की वसूली भवन स्वामी से भू-राजस्व की भाँति की जायेगी।

स्थान एवं दिनांक

नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर अधिकृत प्राधिकारी

नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर अधिकृत प्राधिकारी

(प्रथम पक्ष) (द्वितीय पक्ष)

01. टिप्पणी- यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

प्रारूप-3(क)

निजी भवन/भूमि पर विज्ञापन हेतु तृतीय पक्ष अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

(सफ्यपत्र/वचन-पत्र)

यह करार बाहरी मीडिया के अभिकरण के रूप में नगर निगम कानपुर में पंजीकृत संख्या _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ है में रखने वाली फर्म मेसर्स _____ के श्री/श्रीमान _____ (स्वामी/भागीदार/निदेशक) तथा उनके समनुदेशित शामिल है। (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री/श्रीमती _____ स्वामी/अध्यासी _____ भवन संख्या/गृहकर आई०डी० _____ द्वितीय पक्ष के मध्य उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 एवं कानपुर नगर निगम (कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 एवं भारत सरकार व उ०प्र० सरकार के द्वारा उक्त अधिनियम, उपविधि एवं अधिनियम के अधीन समय-समय पर नगर निगम द्वारा निर्गत होने वाले निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

- क. वृक्षारोपण कार्य पर होने वाला व्यय, पौधों की सुरक्षा हेतु ट्रीगार्ड व तार बाड़ पर व्यय तथा वृक्षारोपण के पश्चात् पौधों के परिपक्व होने तक समस्त व्यय दाता संगठनों के सहयोग से व जनसहभागिता के माध्यम से जुटाया जायेगा।
- ख. वृक्षारोपण कार्य व उसके अनुस्क्षण पर होने वाले व्यय के लिए प्रदेश सरकार को कोई धनराशि व्यय नहीं करनी होगी और न ही सरकार से इसके लिये कोई धनराशि की मांग की जायेगी।
- ग. सड़कों के किनारे पौधे लगाते समय, वृक्षारोपण सहित के अनुसार न्यूनतम पन्द्रह फीट की दूरी पर पौधे लगाये जायेगे।
- घ. जिन स्थानों पर बिजली व टेलीफोन के तार जा रहे हैं वहाँ पर ऊँचाई वाले पौधे जैसे कडेल, हरसिंगार, गुलाचीन, क्लेन्ड्रा, चाँदनी, कनेर, कचनार आदि पौधों का रोपण किया जायेगा।
- ङ. जिन स्थानों पर खुला स्थान उपलब्ध होगा वहाँ बड़े आकार वाले पौधे जैसे नीम, पीपल पाकड़, गुलर, जामुन, आम, कटहल, कदम्ब, अशोक, खिन्नी, जंगल जलेबी आदि का रोपण किया जायेगा।
- च. वृक्षारोपण कार्य में सहयोग करने व्यक्तियों का दाता संगठनों का नाम (आकार 24'x18") ट्री गार्ड पर लिखा जायेगा जिस पर पर्यावरण संरक्षण व समाज कल्याण के संदेश भी होंगे। इस प्रकार की नाम पट्टिकाओं पर यदि किसी प्रकार शुल्क, स्थानीय निकायों को देय होगा तो वह भी दाता संगठनों से जुटाकर दिया जायेगा।
- छ. रोपित किये गये पौधों को कम से कम दस से पन्द्रह वर्ष तक नियमित रूप से देखभाल सिंचाई व खाद आदि की व्यवस्था आपकी संस्था को करनी होगी।
4. नगर आयुक्त को किसी भी समय बिना कारण बताए संस्था का कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

सत्येन्द्र मिश्रा, उप नेता सदन ने कहा कि जिन पार्षदों को विज्ञापन पर सुझाव या आपत्तियों देनी हो तो अवगत करायें।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि विज्ञापन नियमावली पर चर्चा हो चुकी है, इसे पास किया जाये, क्योंकि इससे नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि विगत 04 वर्षों से यही विज्ञापन नियमावली बार-बार कार्यकारिणी/सदन में लाकर चर्चा करायी जा रही है, किन्तु किस कारण से यह पास नहीं हो पायी है? आपत्तियों का निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है? विज्ञापन अधिकारी बताये कि यह कितने वर्षों में लागू होगी अवैध होर्डिंग्स पूरे शहर में लगी है।

श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने कहा कि अभी प्रस्ताव सदन के समक्ष आया ही नहीं है किन्तु जल्दबाजी के कारण हम पार्षदगण ही सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। इन्ही सब कारणों से यह विज्ञापन नियमावली आज तक स्वीकृत नहीं हो पायी है। नियमावली पास होनी चाहिये, ताकि नगर निगम की आय बढ़े।

हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि नयी विज्ञापन नियमावली लागू हो जाने के उपरान्त क्या शहर में पूर्व से लगे विज्ञापन पट्टों को हटाकर नये सिरे से विज्ञापन पंजीकरण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी अथवा इन्हें ही पंजीकृत कर दिया जायेगा। मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा होर्डिंग्स हटाया गया है, जिसे अन्य स्थानों पर शिफ्टिंग लिखकर लगाया जा रहा है, इसे दिखवाया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि विज्ञापन नियमावली लागू होने के उपरान्त हम इस पर कार्यवाही कर पायेंगे।

उक्त स्वीकृति प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सचिव नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र संख्या डी/३६९/उ००३०३१० दिनांक ०४/५/२००६ को भेजा गया था जिसके क्रम में अनुसचिव नगर विकास अर्जुमाग-७ उ० प्र० शासन लखनऊ के पत्र संख्या ६४२/नौ-७-१०-११ के दिनांक २८/४/२०१०, द्वारा मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक ३१/१२/२००५ में सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव संख्या १३६७ पर नगर निगम बोर्ड के अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में प्रस्ताव मा० सदन के बैठक में स्वीकृतार्थ हेतु पत्र संख्या

की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे, को महाबलीपुरम में आधे मूल्य पर एक भूखण्ड व रु० ५०,०००-नगर एक सप्ताह के अन्दर दिनांक सृनिश्चित किये जाने की स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक ३१-१२-२००५ के प्रस्ताव संख्या १३६७ में मंजूर सलमान, जी देश

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी०/२६३/सम्मति/२०-२१-दिनांक ११.०२.२०२१ जी मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है पर विचार करना :-

अप्रसारित किया गया :-

दिनांक ११.१०.२०२१ को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का प्रस्ताव संख्या-२७७ का स्वीकृत प्रदान करते हुए मा० सदन के स्वीकृतार्थ हेतु

प्रस्ताव संख्या- १२९

तदनुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

भी पड़ता है।

अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञान नियमावली विगत ०४ वर्षों से पास नहीं हो पा रही है। पूरा शहर अबैध होर्डिंग्स से पटा पड़ा है, इसका कुप्रभाव पर्यावरण पर

में प्रकाशन होने के पश्चात् यह नियमावली प्रभावी होगी।

नियमानुसार निस्तरण भी करा दिया गया। कोविड-१९ एवं प्रशासनिक कार्यवाही के कारण भी विन्त हो गया। मा० सदन से प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त गजट

सामान्य से २६ पत्रिकाएँ/फर्मा द्वारा आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। जिन्हें पारदर्शी एवं अधिकारियों की संयुक्त समिति के समक्ष रखा गया, समिति द्वारा उक्त आपत्तियों का

इसमें जन सामान्य को भी सम्मिलित करते हुए विज्ञान नियमावली का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराया गया एवं सुझाव, आपत्तियाँ मांगी गयीं। जन

पारदर्शी की एक एक संयुक्त समिति बनाई गयी एवं समिति में विज्ञान एवम्पत्तियों के सुझाव/आपत्तियों के अनुसार नियमावली को संशोधित किया गया, तदुपरोक्त

अवगत कराना है कि नयी विज्ञान नियमावली बनाने की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। मा० सदन से पारित प्रस्ताव के निर्देशानुक्रम में अधिकारियों एवं

श्री स्वर्ण सिंह, प्रभासी विज्ञान ने सदन के सदस्यों को अवगत कराया कि विज्ञान नियमावली के विन्त के सम्बन्ध में जो प्रश्न हैं, उसके सम्बन्ध में

डी/198/सम्पत्ति/19-20दिनांक 20/12/2019 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर आपके आदेश के क्रम में विधिक राय लिया जाना समीचीन होगा के आदेश प्रदान किये गये थे। विधिक राय पर पुनः नवीन रूप से मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार कर दिया गया है।

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 31.12.2005 के प्रस्ताव संख्या 1367 में मेजर सलमान, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे, पुनः प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत यदि कोई अन्य शहीद हुये हो तो उनको भी प्लाट दिया जाये, इसमें यह जोड़ दिया जाये कि जितने भी अन्य शहीद हैं, उनके परिवार की तरफ से आवेदन आता है तो उन पर भी विचार किया जाये। नगर निगम का मुख्य द्वार का नामकरण मेजर सलमान के नाम से करते हुए सम्मान किया गया है। मेरा इस प्रस्ताव पर कोई विरोध नहीं है केवल मेरा यह कहना है कि यदि कानपुर के किसी शहीद को भूखण्ड आवंटित किया जा रहा है, तो अन्य शहीदों के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाये।

हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि शासन से निर्देश दिये गये थे कि जो भी शहीद होंगे उनको एक प्लाट दिया जायेगा। चूंकि यह निःशुल्क प्लाट की माँग कर रहे थे, इसलिये इनको शासन से प्लाट आवंटन नहीं हो पाया। वर्ष 2005 से इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है।

श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने कहा कि इस प्रस्ताव का विरोध कोई नहीं कर रहा है बल्कि इसे बढ़ाया जा रहा है कि कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत सभी शहीदों के परिवारों को भी सम्मिलित कर लिया जाये और उक्त योजना में खाली प्लाटों को दिखवाकर एक समय सीमा निर्धारित करते हुए उस समय अवधि में आये सभी प्रस्तावों पर विचार कर समान रूप से भूखण्ड आवंटन कर दिया जाये। नगर निगम के मुख्य द्वार का निर्माण भी मेजर सलमान के नाम से किया गया है।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि ये राजनैतिक मुद्दा नहीं है। सर्वसम्मति से पास होना चाहिये।

श्री नीरज पटेल, प्रभारी सम्पत्ति ने कहा कि ये प्रकरण 2005 के ही सदन के समय का है। शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सदन से प्रस्ताव पास करके शासन को प्रेषित किया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि जो शहीद होता है, वह किसी धर्म/जाति विशेष का नहीं होता, देश का सपूत होता है और देश के लिये सीमाओं पर लड़ता है, जिनके मन में केवल राष्ट्र के प्रति प्रेम व सम्मान रहता है और अपने आप को देश के प्रति न्यौछावर भी कर देता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में आयोजित मेयर कान्फ्रेंस में स्वीकार किया था कि नगर निगम का पार्षद, मेयर विधायक/सांसद भी बन सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्व में मेयर थे, जो बाद में भारत सरकार के गृह मंत्री बने। नगर निगम निर्वाचित सदन, कानपुर पार्षद पद के पश्चात् कमल रानी वरुण सांसद बनी फिर मंत्री भी बनी। प्रश्नगत प्रस्ताव जिसमें भूखण्ड आधे रेट में देने को उल्लिखित किया गया है, तत्सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यदि जगह है, तो जितने शहीद के परिवार कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत निवास कर रहे हैं उन परिवारों को भी भूखण्ड उसी रेट पर दिया जाये, अतः किसी शहीद से भेदभाव न किया जाये साथ ही प्रदेश के अन्य नगर निगमों में भी दिखवा लिया जाये कि क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था की गयी है ?

नगर निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न मदों में लाइसेंस	नगर निगम द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में लागू)	नगर निगम द्वारा संशोधित/प्रस्तावित मद्दार दर	प्रस्तावित दर
--	---	--	---------------

इस सम्बन्ध में शासन की निर्धारित दरें नगर निगम द्वारा निर्धारित दरें तथा प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत है:-

शासनादेश सं०-161/सी०एम०/नौ-9-97-23ज/97 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक-16.12.97 तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद शनिवार 18 मार्च, 1999 की (फागुन) 22, 1920 शकसम्बत के अनुसार नगर निगम, कानपुर सीमान्तगत संचालित नर्सिंगहोम, प्रसूति गृह, प्राइवेट अस्पताल, पैथलॉजी सेंटर, एक्सरे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक जो वर्तमान समय में संचालित प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क वसूली की निर्धारित की जा रही है।

कंप्यूटर मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.10.2018 एवं मा० सदन की बैठक दिनांक 05.12.2018 के प्रस्ताव-41 में लाइसेंस शुल्क में बढौलारी के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त प्रस्तावों में अस्पतालों एवं प्राइवेट क्लीनिकों के बड़े हुये दरों पर इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षता डॉ० नीलम मिश्रा द्वारा अन्य शहरों की तुलना में कानपुर नगर निगम की दरें अत्यधिक होने पर आपत्ति प्रकट की गयी है, दरों में संशोधन हेतु मा० महामौर जी द्वारा निर्देशित भी किया गया है, उक्त के कम में अस्पतालों एवं प्राइवेट क्लीनिकों के बड़े हुये दरों का संशोधित प्रस्ताव निम्नवत है :-

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महामौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

सदन के स्वीकृताह्व हेतु अप्रसारित किया गया :-

दिनांक 11.10.2021 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या-319 को स्वीकृत प्रदान करते हुए मा०

प्रस्ताव संख्या-130

की स्वीकृति प्रदान की गयी।

यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम सीमान्तगत यदि किसी अन्य शहरीद परिवार से आवेदन आता है, तो उस पर भी विचार किया जाने तदनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार आर्ष दर पर मूखण्ड दिये जाने की स्वीकृति के साथ

प्राइवेट अस्पताल		प्राइवेट अस्पताल	
नर्सिंग होम-प्रसूति गृह (50 बेड तक)	7500.00	नर्सिंग होम-प्रसूति गृह (1 से 20 बेड तक)	5000.00
नर्सिंग होम 50 से 100 बेड तक	15000.00	नर्सिंग होम 21 से 50 बेड तक	7500.00
प्रसूति गृह 100 बेड से 250 बेड तक	20000.00	नर्सिंग होम 50 बेड से ऊपर तक	15000.00
प्रसूति गृह 200 बेड से 250 बेड तक	35000.00	प्रसूति गृह 01 से 50 बेड तक	10000.00
		प्रसूति गृह 51 बेड से 200 बेड तक	20000.00
		प्रसूति गृह 201 बेड से 250 बेड तक	35000.00
प्राइवेट अस्पताल	10000.00	प्राइवेट अस्पताल	10000.00
पैथोलॉजी लैब	5000.00	पैथोलॉजी लैब	5000.00
डैग्नास्टिक सेन्टर, पैथलॉजी, एक्सरे, क्लीनिक एलो/डेन्टल क्लीनिक	10000.00	डैग्नास्टिक सेन्टर, पैथलॉजी, एक्सरे, क्लीनिक एलो/डेन्टल क्लीनिक	10000.00
ब्लडबैंक सेन्टर	10000.00	ब्लड बैंक सेन्टर	10000.00
प्राइवेट क्लीनिक	5000.00	प्राइवेट क्लीनिक (जिसमें डाक्टर सिर्फ परामर्श देते हो)	1000.00
		प्राइवेट क्लीनिक (एक से अधिक कक्ष जिसमें डॉक्टर की क्लीनिक के साथ बेड एवं ड्रिप की व्यवस्था हो) डे-केयर सेन्टर	4000.00
आर्युवेदिक/यूनानी/होम्यो क्लीनिक आदि	4000.00	आर्युवेदिक/यूनानी/होम्यो क्लीनिक आदि	1000.00
		पैट क्लीनिक सर्जरी के साथ (सभी पालतू जानवरों हेतु)	3000.00

श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने अध्यक्ष महोदय से सांग्रहीत कहा कि गृह कर के सम्बन्ध में आपका संज्ञान में लाना है कि जवाहर नगर व नेहरू नगर में 02 ऐसी प्रकल्प संज्ञान में जब मैं सम्बन्धित जोनल अधिकारी से मिला तो मुझे जवाब मिला कि यह जमा करना पड़ेगा। जब मैंने तत्कालीन नगर आयुक्त के पास जाकर प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें मवन स्वामी द्वारा शपथ-पत्र दिया गया कि भरे मवन के टैक्स को दिखवा लिया जाये और भरे टैक्स का एक भी रूपया कम न किया जाये। नगर आयुक्त द्वारा जाँच लिखे जाने के उपरान्त वह गृह कर ₹02 लाख 45 हजार हो गया। द्वितीय प्रकल्प एक वृद्ध दम्पति का है, जिनकी उम्र 70 से 75 वर्ष की है, उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और उनके 24 वर्ग गज के मकान में प्लास्टर तक नहीं है, उन्हें 02 हजार की नोटिस दी गयी और जाँच करने पर उनका टैक्स ₹0 450/- बना। नगर निगम ने दो शीर्षों से परेशान कर रखा है। मवन स्वामी कहता है कि जो भरा टैक्स बनता है मुझसे ले लो, लेकिन जो भरा नहीं बनता है उसके लिये मुझे नोटिस मत दो। आज जोनल कार्यालयों में प्लान्टर नहीं है कि गृह कर जूटि सुधार हेतु कितने पत्र आये और उन पत्रों का क्या निस्तारण हुआ? मवन स्वामियों को सदन/कार्यकारिणी के माध्यम से दी

स्थान अवधि के पर्याप्त अपरान्त 02:40 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

अपराहन 02:10 बजे भोजनावकाश हेतु बैठक स्थगित हुई

.....तदनुसार दिनांक 01.04.2021 से प्रस्तावित संशोधित दरों को लागू करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने कहा कि मंडिकल एसीसिएशन की अध्यक्ष डॉ (श्रीमती) नीलम मिश्रा द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें एक बिन्दु स्पष्ट नहीं है, जिसमें प्राइवेट क्लीनिक को ₹0 पांच हजार से घटकर ₹0 एक हजार किया गया है। इसमें यह स्पष्ट कराया जाये कि डॉ10 द्वारा परामर्श शुल्क लेकर दिया जाता है या नि:शुल्क? यदि शुल्क लेकर परामर्श दिया जाता है तो आज हमारे सभी पार्श्वदाता जानते हैं कि उनका परामर्श शुल्क क्या होता है? जब प्रत्येक व्यक्ति से परामर्श शुल्क ₹0 250/- से लेकर ₹0 1000/- तक लिया जाता है तो उन्हें नगर निगम को ₹0 पांच हजार देने में दिक्कत है। क्या यह आपको, मा10 पार्श्व व नगर निगम कर्मचारियों को नि:शुल्क चिकित्सा देते हैं? घर के बाहर टॉफी, बिस्किट की दुकान पर नगर निगम द्वारा व्यावसायिक शुल्क लगाया जाता है।

संशोधित प्रस्ताव मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृति प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में एलीपैथिक/आर्युवेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डाक्टरों के जीवन धारा में कई चिकित्सक तो अपने घर तक नहीं गये, यहाँ तक कि नगरिकों की जीवन रक्षा में कई चिकित्सक काल कवलित भी हो गये। अतएव एलीपैथिक/आर्युवेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डाक्टरों के विशेष योगदान हेतु इनके प्राइवेट क्लीनिक की लाइसेंस फीस 1000 (रुपया एक हजार) किये जाने की दरों का

5000.00	घट क्लीनिक स्पा एवं अन्य सुविधाओं के साथ (सभी पालतू जानवरों हेतु)		
---------	---	--	--

जाने वाली 10 प्रतिशत छूट का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2008 में जी0आई0एस0 सर्वे हुआ जो ऐसा सर्वे था कि वर्ष 2013 तक नगर निगम सदन व कार्यकारिणी उससे परेशान रहे। कानपुर महानगर के पार्क खुली भूमि मन्दिर आदि स्थानों पर भी टैक्स लगा दिया गया था। नगर निगम द्वारा सर्वे कराया जा रहा है पुनः गलती की जा रही है, क्योंकि सर्वे का पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम कर निर्धारण के सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त हो रही है कि सर्वे वाले आये थे, उनके द्वारा टैक्स निर्धारण में कई अनियमिततायें की जा रही है। मैं जोन-5 गयी, जोनल अधिकारी आये नहीं थे, रजिस्टर नहीं था, कौन आता है, कौन जाता है पता नहीं। इससे पहले जब खन्ना जी जब नगर विकास मन्त्री श्री खन्ना जी थे, तो पूछते थे कि आप बताये कि कितनी वसूली हो रही है, तदनुसार बताना चाहती हूँ कि 06 माह तक अधिकारियों ने वसूली रिपोर्ट दी, किन्तु अब कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, जिससे मंत्रालय तक वसूली रिपोर्ट नहीं भेजी जा पा रही है। अतः आज सदन तब तक चलता रहेगा, जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि रू0 08 लाख का टैक्स घटकर रू0 02 लाख 45 हजार कैसे हुआ, साथ ही सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि दोषियों पर कार्यवाही भी करूँगी।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि मा0 महापौर जी आप स्वयं दीन दुखियों की सेवा के लिये पूरे कानपुर महानगर में जानी जाती है। इस समय भवन स्वामी गृहकर की भेजी जा रही नोटिसों से परेशान है। नगर निगम द्वारा वर्ष 2016 से गृहकर बढ़ाकर लगा दिया गया है और उसकी नोटिसें भी भेजी जा रही है। इसी सदन में पूर्व नगर आयुक्त आर0विक्रम सिंह जी ने कहा था कि जी0आई0एस0 सर्वे में कुछ त्रुटि हुई है, हम इसका संशोधन करायेंगे, किन्तु त्रुटियों का संशोधन नहीं हुआ। सरकार द्वारा इसे वर्ष 2016 से लागू कर दिया गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि गृहकर के ब्याज को माफ कर दिया जाये। साथ ही वर्तमान मंहगाई के दृष्टिगत सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से लगे कर्मियों का वेतन भी बढ़ाया जाये क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा भी रू0 340/-प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा ने कहा कि कारगिल पार्क में सर्वोच्च सेना प्रमुख स्व. विपिन रावत को श्रद्धान्जलि हम सभी लोगो ने दी, उसी क्रम में शहीदों के लिये एक कविता सदन में कहना चाहता हूँ।

‘न हिन्दु, न सिक्ख, न मुसलमान हूँ मैं,
इस भारत माता का लाल हूँ मैं।
जिया तो वतन की माटी के लिये,
यू न बदनाम करो मुझे ॥

साथ ही महोदया आपके संज्ञान में लाना है कि पूर्व में सदन में लिये गये निर्णय के अनुपालन में न 10-10 कूड़ा गाड़ी, न ही सफाई कर्मी वार्डों में मिले है। इसकी भी व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से कहा कि आज सदन में सिर्फ विकास कार्यों व क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में सार्थक चर्चा हो। आप लोग बताये कि क्या 10-10 गाड़ियाँ सभी वार्डों को मिली, जिस पर सभी सदस्यों ने कहा कि नहीं मिली। अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया।

डॉ0 अमित सिंह गौर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अभी तक 551 गाड़ियों का क्रय किया जा चुका है, यदि आप चाहे तो वार्डवाइज जानकारी दी जा सकती है। जैसे-जैसे गाड़ी बनकर आ रही है वैसे-वैसे वार्डों में जोनल स्वच्छता अधिकारी के माध्यम से दी जा रही है।

श्री रमेश हठी ने कहा कि
 "गफल में जिन्दगी को रू ही गावा दिया,
 दौलत के आगे हमने सर को झुका दिया।
 एक ज्योति जला न पाये धूम नाम की,
 पड़ करके माया मोह में सब कुछ भुला दिया।।

अब्दुल ने कहा कि आज सदन की जो कार्यवाही हो रही है, उसमें महाप्रबन्धक एवं सदन में उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष मा० सदस्यों द्वारा कही गयीं बातों/समस्याओं को नोट करते हुए उसके सम्बन्ध में अगले सदन में अवगत कराया, क्योंकि दिनांक 01-01-2022 को सदन की बैठक आहूत करनी।

महाप्रबन्धक ने कहा कि तत्सम्बन्ध में पत्रावली दिखावाकर कार्यवाही करायी।

श्री ० अमीम ने कहा कि फूलमली तिरहा 100/480 से 100/335 तक नगर निगम द्वारा रोड बनवायी गयी थी। जिस लगभग 08 माह पहले जल कल विभाग द्वारा विधायक के कहने पर सीवर लाइन हेतु लगभग 500 मीटर सड़क खोद दी गयी है। जल कल के अधिकारियों से अच्छाई यह है कि सदन/कार्यकारिणी से पूर्व अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता सबकर लगाने लगते हैं। उक्त सड़क निर्माण के कार्य में ठेकेदार का जो 10 प्रतिशत जमानती धनराशि मरम्मत हेतु रोकੀ जाती है, उसे अब नगर निगम द्वारा क्यों रोक़ा गया है? जल कल विभाग ने रोड कटिंग का कितना पैसा जमा किया है, अवगत कराये? 15 वें वित्त आयोग का पैसा पड़ा हुआ है, कार्या के टेण्डर हो चुके हैं, किन्तु टेण्डर स्वीकृत न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं।

आप सभी सदस्यों से सत्यापन भी कराया जायेगा।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि हथ कूड़ा गाड़ी का रेट कार्टेज निकलवा रहा है, क्वॉलिटी पर कोई समझौता नहीं किया है। 50 प्रतिशत आपूर्ति हो गयी है। 50 प्रतिशत बाकी है। खराब क्वॉलिटी पर कार्यवाही की जा रही है। अभी 06 रिक्वा आये हैं, 60-70 और आने हैं, फीड बैक अच्छा मिल रहा है। इसे ज्यादा मंगाना उचित है, उसे भी क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अभी 10 गाड़ियाँ भी उपलब्ध करा दी जायेंगी। साथ ही सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में मृत्यु/सेवानिवृत्त तथा स्थानान्तरित सफाई कर्मियों के 313 पर रिक्त पाये गये, इनको बेतन भी देना होता है, तदनुसार पहले 100 कर्मचारी बाकी में तैनात किये जा चुके हैं। इस माह बी०आर्डी०पी० का आगमन ज्यादा है इसलिए कर्मचारियों की तैनाती बाकी में नहीं कर सकते हैं। नगर निगम की वित्तीय स्थिति को भी देखना पड़ता है। सफाई कर्मचारी के उपरोक्त पदों पर पर दिसम्बर माह के अन्त तक तैनाती कर दी जायेगी। कर्मचारी के तैनाती के सम्बन्ध में

जुगाड़ से मिल गयी, लेकिन हथ कूड़ा गाड़ी नहीं मिल पा रही है।

अब्दुल ने नगर आयुक्त से पूछा कि आपसे बात हुई थी कि हथ कूड़ा गाड़ियाँ 5-5 पट्टेय चुकी है, प्रत्येक पार्क को 10-10 मार्ग प्रकाश लार्डेट किस

प्रथम प्रश्न स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चयनित संविदा सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी पर चर्चा की जाये। होर्डिंग्स ने हमारे क्षेत्र में काफी समस्या रहती है। स्वास्थ्य विभाग में जो 100 कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उससे अवगत कराया जाये। श्रम विभाग में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, क्या उसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया गया है। साथ ही पार्श्वदो को 02-02 होर्डिंग्स लगाये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि मैंने हैदराबाद में देखा था कि वहाँ पेड़ों की छंटाई मशीन से हो रही थी। उसी को तत्कालीन नगर आयुक्त को अवगत कराया और मेरी मंशा के हिसाब से ही लगभग रू० 18-19 लाख की मशीन पेड़ छंटाई हेतु नगर निगम द्वारा क्रय की गयी, किन्तु श्री वी०के० सिंह उद्यान अधिकारी ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में बताया था कि मशीन खराब पड़ी है, जबकि क्षेत्रीय पार्श्वद कह रहा है कि श्रम विभाग के पार्क में छंटाई हो रही है, तो इनके वक्तव्य में विरोधाभास क्यों है? इसे दिखवा लिया जाये।

श्री जितेन्द्र गांधी ने कहा कि शन्नेश्वर से मसवानपुर तथा नमक फैक्ट्री से एकता पार्क के लिये जो रोड जाता है, रामनवमी आने वाली है, इसको देखते हुए इनका शीघ्र निर्माण कराया जाये।

हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मौलाना हसरत मोहानी के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम किया जाये। अंग्रेजों के नाम पर जो मोहल्लो/सड़को के नाम हैं, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किया जाये, यदि मोहल्ले और सड़के कम पड़ जाये तो बिठूर की भांति वार्डों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रख दिये जाये। साथ ही जानकारी दिलायी जाये कि स्मार्ट सिटी से जो 150 गाड़ियों खरीदी जा रही है, किस नियम अधिनियम के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग को हैण्डओवर की जायेंगी आवगत करायें?

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि अगले महीने चुनाव आचार संहिता लगने की सम्भावना है अतः आपसे अनुरोध है कि जिन कार्यों के टेण्डर हो चुके हो तो उनके कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारम्भ कराने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि जोनल अधिकारी जोन-4 द्वारा बताया गया है कि यह जवाहर नगर गृहकर नोटिस प्रकरण वर्ष 2008 से था, उसी के हिसाब से डिमान्ड नोटिस भेजा गया था और शिकायत मिलने पर ठीक भी कर दिया गया, तत्क्रम में

“ नगर आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब को देखते हुए सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को कन्ट्रोल रूम में तैनात किया जाये साथ ही मुख्य अभियन्ता (सिविल) को निर्देशित किया कि 15 वें वित्त आयोग एवं नगर निगम निधि के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य कब तक प्रारम्भ करायेंगे, उसकी तिथि के सम्बन्ध में अगवत करायें।”

(ग) 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के बकायापर एवं 31 दिसम्बर 2022 के उपरान्त कोई भी छूट अनुमत्त न किया जाना।

जाना।

(ख) 01 अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक पूर्व समस्त बकाया जमा होने की स्थिति में वर्तमान वित्तीय वर्षकी मांग पर 05प्रतिशत की छूट अनुमत्त किया

जाना।

(क) 01 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 तक पूर्व समस्त बकाया जमा होने की स्थिति में वर्तमान वित्तीय वर्ष कीमांग पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमत्त किया

(1) भवन स्वामियों को गत वर्ष की भांति गृहकार छूट के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विचार:-

सामान्य कर

2022-23 हेतु करों की दरों / छूट के सम्बन्ध में :-

नगर निगम के मा10 कार्यकारिणी समिति /सदन के समक्ष उ10 प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 148 एवं 221 (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

विचार किया जाना।

श्री विनोद कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संयुक्त वाहन चालक/कर्मचारी संघ, श्री अनूप शुक्ला, पार्थ, श्री सौरभ देव, पार्थ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर

देखल प्रस्ताव संख्या-131

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि प्रस्ताव प्रकरण की जाँच कराकर तदनुसार अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।

रहा है, महाप्रबन्धक जल कल कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है।

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने भी कहा कि सदन की गरिमा की और महाप्रबन्धक जल कल ध्यान नहीं दे रहे है। 03 वर्ष से राजेश ठेकेदार कार्य नहीं कर

कीमत पर कय किया गया है। इसकी जाँच करायी जाये।

हैं कि विधायक निधि से 500 हैण्ड सेनेटाइज़र क्रय किये जाने हेतु रु0 66.50 लाख दिया गया था। उक्त मशीनों की कीमत रु0 03 हजार थी, उसे 4 गुना

मा10 आभिर ने कहा कि सदन का ध्यान कोशना काल में नगर निगम अधिकारियों द्वारा किये गये भाडी भरकम भ्रष्टाचार की और आकर्षित कराना चाहता

दशा में दिनांक 28.12.2021 तक करा दिये जायेंगे।

किस्त के 74 करोड़ के कार्यों का बर्क आर्डर जारी कर अधिसूचना जारी होने के पूर्व सभी कार्य प्रारम्भ करा दिये जायेंगे। जो कार्य शेष है, उनके टेण्डर प्रत्येक

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रथम किस्त एयर पोस्चेशन एवं दूसरी

श्री मनोज ने कहा कि मसवानपुर से पार्थ बने 7-8 महीने हो गये है। भेरे बार्ड का 01 भी टेण्डर नहीं हुआ है।

- (2) उ०प्र० पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे नियमित कर्मचारी जो कानुपर नगर निगम में कार्यरत है एवं सेवानिवृत्त जीवित व पेंशन धारक हैं एवं जिनके पास नगर निगम कानपुर की सीमा में एक ही आवासीय भवन हैं और स्वयं निवासित हैं, को सामान्य कर से मुक्त किए जाने पर विचार।
- (3) उ०प्र० पालिका केन्द्रीयित सेवा के ऐसे नियमित अधिकारी/कर्मचारी जो कानुपर नगर निगम में कार्यरत हैं/सेवानिवृत्त जीवित एवं पेंशन धारक हैं एवं जिनके पास नगरनिगम कानपुर की सीमा में एक ही आवासीयभवन हैं और स्वयं निवासित हैं, को सामान्य कर से मुक्त किए जाने पर विचार।
- (4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे परमवीर चक्र, अशोक चक्र तथा अन्य सैनिक, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है अथवा उनकी विधवाओं अथवा उनके आश्रितों (पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे एवं अविवाहित पुत्री) को भी सामान्य कर से मुक्त किए जाने पर सशर्त (भवन आवासीय एवं स्वयं निवासित एकल भवन हो) पर विचार।
- (5) भारत रत्न, महामहिम राष्ट्रपति से प्रदत्त शौर्य पदक प्राप्त पुलिस कर्मियों/अधिकारियों तथा अर्जन पदक धारक सामान्य कर से मुक्त होंगे। शर्त यह है कि नगर निगम सीमा में उनका एक ही भवन हो जो आवासीय हो और स्वयं निवासित हों, पर विचार।
- (6) महापौर वर्तमान एवं भूतपूर्व, जिसमें स्वयं निवास कर रहे/रही हो, के एक भवन को सामान्य कर से मुक्त किये जाने पर विचार।
- (7) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ी जिनका नगर निगम सीमा में एक ही भवन हो जो आवासीय हो तथा स्वयं निवासित हो, को सामान्य कर में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य किए जाने पर विचार।
- (8) सभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रित (नाबालिग बच्चे तथा अविवाहित पुत्री) भी सामान्य कर से मुक्त होंगे। शर्त यह है कि नगर निगम सीमा में उनका एक ही भवन हो जो आवासीय हो और स्वयं निवासित हो, पर विचार।
- (9) भवन कर/जलकर में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दृष्टिहीन अथवा विकलांगजन को शतप्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम दृष्टिहीन अथवा विकलांगजन को 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी, पर परपूर्वत जारी रखने पर विचार।

.....नगर आयुक्त को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-132

श्री अनूप शुक्ला, पार्षद एवं श्री सौरभ देव, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कानपुर नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं(जैसे सड़क, नाली, मार्ग प्रकाश, सफाई इत्यादि) को नागरिकों को उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व नगर निगम, कानपुर का है। वर्तमान में भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ रखने का अभियान सम्प्रति गतिमान है। शहर में सुनियोजित विकास कार्य तथा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा रखरखाव हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट बनाये रखने हेतु नगर निगम की आय का महत्वपूर्ण स्रोत गृहकर है।

गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में गृहकर की वसूली कुल ₹0 178.28 करोड़ मात्र रही है, जोकि काफी कम है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर तक ₹0 98.99 करोड़ की वसूली हुई है। वर्तमान में आवासीय, वातानुकूलित 200 वर्गफीट की दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों धारा- 177 के अधीन,

अतः आपसे मा० सदन के सम्मक्ष पुनः सादर अनुरोध है कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों का शिलालेख समनान्त स्थित मा० अली पार्क में लगाये जाने हेतु नगर निगम के अधिकारियों को आदेशित करें। यह उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मा० सदन के सम्मक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर देश के राष्ट्रपति महामहिम मा० रामनाथ काठिर जी के द्वारा यह कहा गया कि स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताया जाये। जैसे कि शिव वर्मा जी, जयदेव कपूर जी, ज० प्रसाद जी तथा अजीमन बाई इत्यादि। वहीं मुस्लिम समाज में अनेको ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। उन्हें आजादी आन्दोलन में कई-कई वर्ष जेल की सजा भुगती है। किन्तु गुमनामी के अंधेरों में डूबकर वह इस दुनिया से चले गये, लेकिन उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ इसी तरह की गुमनामी में कानपुर नगर के अनेको मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम खी गये हैं। जिनकी सूची साथ में संलग्न है।

विषय : देश की आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों के शिलालेख समनान्त स्थित मा० अली पार्क में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री हानी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

दृष्ट प्रस्ताव संख्या- 136

तदनुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्तुत है।

यूँकि निर्माणधीन / निर्मित नगर निगम समनगर का कोई नाम नहीं है, अतः "प्रसिद्धा समनगर" के नाम से प्रस्ताव माननीय सदन के सम्मक्ष स्वीकृत्यर्थ

को वैधित्व प्राप्त होगी।

प्रसन्नता समनगर में लाजपत भवन की भूमि ही सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा प्रशासनिक कार्यकर्मा का आयोजन किया जा सकेगा। इस समनगर से नगर निगम कक्षया मीठीझील परिसर स्थित नगर निगम के पूर्व पार्किंग स्थल पर समनगर निर्माणधीन है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। संज्ञान में आया है कि

अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

श्री रमेश हटी, पार्थ, श्री अनूप कुमार शुक्ला, पार्थ, श्री सौरभ देव, पार्थ, श्री विकास जायसवाल, पार्थ द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा

दृष्ट प्रस्ताव संख्या- 135

.....तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष ने आज दिनांक 20.12.2021 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना-अपना अभिमत प्रदान करने के लिये कहा।


.....सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 20.12.2021 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

अंत में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0.....

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर

.....



1

2

15

16